www.dhyeyaias.com

जून 2020 | अंक 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 | भारत, नेपाल और चीन

एक त्रिकोणीय समीकरण

2 | कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य: सचेत होने की आवश्यकता

3 | वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020: एक अवलोकन

4 | सरफेसी एक्ट के दायरे में सहकारी बैंक

5 | लोचशील अर्थव्यवस्था: वर्तमान समय की मांग

6 | आत्मनिर्भर भारत अभियान: संकट को अवसर में बदलने की पहल

7 | वैश्विक वन संपदा आकलन 2020: एक विश्लेषण

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ अंशुमान तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ स्नेहा तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ विपिन सिंह ➢ कृष्ण कुमार ➢ निखिल ➢ रमेश कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जून 2020 | अंक 01

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–18
- भारत, नेपाल और चीन: एक त्रिकोणीय समीकरण
- कोविड–19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य: सचेत होने की आवश्यकता
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020: एक अवलोकन
- सरफेसी एक्ट के दायरे में सहकारी बैंक
- लोचशील अर्थव्यवस्था: वर्तमान समय की मांग
- आत्मनिर्भर भारत अभियान: संकट को अवसर में बदलने की पहल
- वैश्विक वन संपदा आकलन 2020: एक विश्लेषण

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 19–25

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 26–27

7 महत्वपूर्ण खबरें 28–32

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 34

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 35

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारत, नेपाल और चीन : एक त्रिकोणीय समीकरण

चर्चा का कारण

- हाल ही में लिपुलेख दर्रे के पास (लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है) तक भारत ने सड़क निर्माण किया। इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई है कि यह सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। जबाव में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुन्द नरवाणे ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि नेपाल ''किसी अन्य के इशारे'' पर भारत द्वारा नवनिर्मित सड़क पर आपत्ति प्रकट कर रहा है।

परिचय

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था। तब से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारत और नेपाल के बीच तनाव की स्थिति पर चीन ने कहा कि कालापानी सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच का मामला है और उसे उम्मीद है कि दोनों पड़ोसी एकतरफा कार्रवाइयों से बच सकते हैं और मैत्रीपूर्ण बातचीत के जरिए अपने विवादों को ठीक से सुलझा सकते हैं।

कालापानी विवाद क्या है?

- 1962 में चीन-भारत युद्ध में अरूणाचल प्रदेश के तावांग जिले में स्थित से-ला दर्रे से चीनी फौज भारत के पूर्वोत्तर भाग में घुस आयी थी। इसी घटना के मद्देनजर बाद में भारत सरकार ने लिपुलेख दर्रे की तरफ ध्यान दिया। परिणामस्वरूप तत्कालीन नेपाली नरेश महेन्द्र के साथ भारत सरकार का एक समझौता हुआ, जिसमें नेपाल ने लिपुलेख दर्रे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी।
- लिपुलेख को लेकर 2015 में विवाद उस समय शुरू हुआ जब भारत और चीन ने नेपाल के दावे का विरोध करते हुए लिपुलेख के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार गलियारे का निर्माण करने पर सहमति जताई थी। नेपाल ने ये मुद्दा चीन और भारत दोनों से उठाया था लेकिन इस पर कभी औपचारिक रूप से चर्चा नहीं हो सकी।
- कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 35 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। यहां इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान तैनात हैं। भारतीय राज्य उत्तराखंड की नेपाल से 80.5 किलोमीटर सीमा लगती है जबकि चीन से 344 किलोमीटर की सीमा लगती है। काली नदी का उद्गम स्थल कालापानी ही है। भारत ने इस नदी को भी नए नक्शे में शामिल किया है।
- 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। तब काली नदी के पश्चिमी सीमा को ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच रेखांकित किया गया था। 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना ने कालापानी में चौकी बनाई।
- नेपाल का दावा है कि 1961 में यानी भारत-चीन युद्ध से पहले नेपाल ने यहां जनगणना करवाई थी और तब भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। नेपाल का कहना है कि कालापानी में भारत की मौजूदगी सुगौली संधि का उल्लंघन है।

सुगौली संधि

- सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुआ एक करार है। इस संधि पर 2 दिसंबर, 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च, 1816 को इसका अनुमोदन किया गया।
- संधि के तहत नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भू-भाग का लगभग एक तिहाई हिस्सा गंवा दिया। इसमें नेपाल के राजा द्वारा पिछले 25 साल में जीते गए क्षेत्र जैसे कि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल राजशाही और दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल था। तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया।
- 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सहायता करने की एवज में पुनः लौटाया गया।

कालापानी की महत्ता एवं भारत

- नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। कूटनीतिक पहलों के जरिए भारत सीमा इस विवाद को सुलझाने के प्रयास में लगा हुआ है।
- कालापानी भी डोकलाम की तरह त्रिकोणीय जंक्शन पर है। यह भू-भाग भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, जानकारों का मानना है कि अगर भारत कालापानी से अपनी सेना हटा देगा तो चीन वहाँ अपना कब्जा कर सकता है जोकि हर तरह से भारत के लिए नुकसानदेय होगा।

- नेपाल-भारत संबंधों पर कई भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भूगोल की दृष्टि से कोई भी दो देश इतनी नजदीकी नहीं रखते हैं जितने कि भारत-नेपाल हैं। लेकिन 1800 किलोमीटर लंबी सीमा पर दोनों देशों के दरमियां कभी न खत्म होने वाले कई सीमा-विवाद भी हैं।
- मुश्किल इस बात को लेकर ज्यादा है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। महाकाली (शारदा) और गंडक (नारायणी) जैसी नदियां जिन इलाकों में सीमांकन तय करती हैं, वहां मॉनसून के दिनों में आने वाली बाढ़ से तस्वीर बदल जाती है। नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है। कई जगहों पर तो सीमा तय करने वाले पुराने खंभे अभी भी खड़े हैं लेकिन स्थानीय लोग भी उनकी कद्र नहीं करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में लोगों का एक देश से दूसरे देश आना-जाना लगा रहता है।
- गुंजी गांव के पास, जहां लिपुलेख जाने वाली सीमा सड़क हाल ही में खोली गई थी, वहां दो छोटी नदियां आकर मिलती हैं। एक धारा दक्षिण पूर्व में लिम्पियाधुरा की पहाड़ियों से निकलकर आती है तो दूसरी धारा दक्षिण में लिपुलेख से आती है। नेपाल की राष्ट्रीय राजनीति में तीन दशकों से भी ज्यादा समय से महाकाली-कालापानी का मुद्दा उठता रहा है। नेपाल के विशेषज्ञ और अधिकारियों का कहना है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलकर उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है। लेकिन इसके ठीक उलट भारतीय पक्ष का कहना है कि महाकाली नदी का रुख नेपाल की ओर उत्तर पूर्व में है। उनका कहना है कि लिपुलेख से निकलने वाली जलधारा ही दरअसल, महाकाली नदी का स्रोत है और इसी से दोनों पड़ोसी देशों की सीमाओं का निर्धारण होता है।

चीन-नेपाल में गहराती दोस्ती

- नेपाल अपनी कई जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है लेकिन वो लगातार भारत से निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने साल 2017 में नेपाल के साथ अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया था। इस दौरान चीन ने नेपाल में क्रॉस-बॉर्डर इकोनॉमिक जोन बनाने, रेलवे को विस्तार देने, हाइवे, एयरपोर्ट आदि के निर्माण कार्यों में मदद पहुंचाने पर भी सहमति जताई।
- नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी चीन की सरकार उठाने के लिए तैयार है।
- सामरिक मुद्दों की दृष्टि से चीन ने नेपाल के ऊपर अपना प्रभाव बरकरार रखा है। नेपाल आज चीन का 'क्लाइंट स्टेट' अथवा आश्रित राज्य बन गया है। चीन किसी भी कीमत पर नेपाल को अपने पक्ष का बनाना चाह रहा है। चीन यह चाहता है कि नेपाल की निर्भरता उसके ऊपर रहे जिससे जब चाहे भारत के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सके।
- नेपाल का संविधान लागू होने के बाद भारत ने एक आर्थिक नाकेबंदी लगाई। इस वजह से नेपाल में भारत विरोधी माहौल बना। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने उन भावनाओं के साथ अपना जुड़ाव दिखाया और उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की। चीन के साथ व्यापारिक समझौते पर दस्तख्त किए। यह नेपाल के राष्ट्रीय हित में जाता है और कोई भी देश अपना हित देखकर ही द्विपक्षीय समझौता करता है। नेपाल भी वही कर रहा है। यह जरूर है कि चीन की उपस्थिति नेपाल में बढ़ गई है और बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश भी आया है। जो मौजूदा स्थिति है उससे नेपाल तत्काल पीछे हट सकता है, ऐसा नहीं लगता। नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं।
- चीन नेपाल के साथ रेल संपर्क बढ़ाने के लिए आगे आ गया है। चीन तिब्बत से लेकर लुंबिनी तक रेल लाइन विकसित करना चाहता है। हाल में नेपाल ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर दस्तख्त किए हैं। इस कारण भी चीन नेपाल के काफी नजदीक आ रहा है।

आगे की राह

- आने वाले समय में नेपाल भारत की लिए हर दृष्टिकोण से एक चुनौती साबित होगा। अतः भारत को चाहिए कि वो अपनी उपस्थिति सार्क एवं आसियान में मजबूत रूप से दर्ज कराये। साथ ही साथ भारत को हिमालय क्षेत्र में थल सेना और वायु सेना की मजबूत उपस्थिति बनानी चाहिए एवं चीन के मंसूबों को विश्व पटल पर सामने लाने की जरूरत है।
- भारत एवं नेपाल के मध्य ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके विषय में अभी तक लापरवाही का रवैया अपनाया गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कालापानी जैसे विवाद को जल्द से जल्द सुलझाएँ ताकि दोनों देशों के बीच मित्रता में आपसी विश्वास बना रहे।
- निष्कर्षः कहा जा सकता है कि भारत के लिये यह बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि वह बदलते क्षेत्रीय समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए नेपाल के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में प्रयास करे तथा उसका सहयोग एवं समर्थन हासिल करने में कामयाब हो सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. कालापानी विवाद के आलोक में बताएं कि क्या नेपाल चीन की नयी प्रयोगशाला बनता जा रहा है?

02 कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य : सचेत होने की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में यू.एन. महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि बढ़ते मानसिक दबावों का सामना कर रहे लोगों की रक्षा करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे। गौरतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने वाली प्रणालियाँ दशकों से कम निवेश और उपेक्षा का शिकार रही हैं और वैश्विक महामारी कोविड-19 ने इन कमजोरियों को पूरी तरह उजागर कर दिया है।

मानसिक अवसाद

- यू.एन. के अनुसार कोविड-19 महामारी से पहले भी मानसिक विषाद या अवसाद (Depression) और चिन्ता या बेचैनी (Anxiety) जैसी समस्याएँ विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के नुकसान के लिए जिम्मेदार थीं।
- दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन यानि अवसाद से पीड़ित हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के आधे से ज्यादा मामले 14 वर्ष की आयु से शुरू होते हैं। 15 से 29 आयु वर्ग में युवाओं की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास पर 'लान्सेट कमीशन' की उस चेतावनी का भी उल्लेख है जिसके मुताबिक पहले के हालात में खुद को ठीक ढंग से संभाल लेने वाले बहुत से लोगों के लिए भी अब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि महामारी के कारण अनेक प्रकार के दबाव पैदा हुए हैं।
- पहले से ही बीमार होने और फिर कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आशंका बढ़ जाती है। मानसिक तनाव, सामाजिक जीवन में अलग-थलग पड़ने और परिवार में हिंसा नजदीक से देखने से युवा बच्चों और वयस्कों के मस्तिष्क का स्वास्थ्य और विकास प्रभावित होता है।
- लोगों के सामने अनेक अनिश्चितताएँ हैं और इन हालात में खुद को संभालने के लिए लोगों में एल्कोहल (शराब), नशीली दवाओं, तम्बाकू और ऑनलाइन गेम्स की लत बढ़ रही है।
- कनाडा में एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग में 20 फीसदी लोगों ने महामारी के दौरान एल्कोहल सेवन की मात्रा बढ़ा दी है।

तनाव के कारण एवं संबंधित आँकड़ें

- महामारी के फैलाव और आपात हालात के दौरान लोग संक्रमण के कारण मौत होने और परिजनों को खोने से भयभीत हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने या तो अपने रोजगार खो दिए हैं या फिर आजीविका के साधनों के खोने का जोखिम है।
- वे सामाजिक रूप से अलग-थलग हो गए हैं, वे अपने परिजनों से दूर हैं और कुछ देशों में उन्होंने घर पर रहने के आदेश को बड़े कठोर ढंग से लागू किए जाने का अनुभव किया है।
- यू.एन. रिपोर्ट के अनुसार घर तक सीमित होने से घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार के मामले बढ़े हैं और महिलाओं व बच्चों के लिए शारीरिक व मानसिक नुकसान का जोखिम बढ़ा है।
- इसी दौरान वायरस और उसकी रोकथाम के उपायों के बारे में गलत जानकारियाँ तेजी से फैल रही हैं और भविष्य के प्रति अनिश्चितता गहराना तनाव बढ़ने का एक बड़ा कारण है।
- रिपोर्ट के मुताबिक "यह अहसास कि मौत के नजदीक पहुँच चुके अपने परिजनों से आखिरी बार विदा लेने या अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर लोगों के पास नहीं होगा, तनाव को बढ़ाता है।"
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्यान दिलाया कि अतीत में भी आर्थिक संकटों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलों का सामना करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई थी और आत्महत्या के मामलों की दर में वृद्धि हुई थी।
- चीन, अमेरिका और ईरान सहित अनेक देशों में राष्ट्रीय आँकड़े मानसिक स्वास्थ्य के लिए बढ़ते जोखिम को दर्शाते हैं। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण होने वाले मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों में सिरदर्द, स्वाद और सूँघने की क्षमता कमजोर पड़ना, आवेशित या बेसुध महसूस करना या फिर दौरे का शिकार होना है।
- कनाडा में कुछ सर्वे किए गए थे जो दिखाते हैं कि 47 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों ने मनोवैज्ञानिक सहारे की जरूरत बताई। चीन में महामारी से स्वास्थ्यकर्मी गंभीर रूप से प्रभावित हैं जिनमें 50% अवसाद से, 45% बेचैनी, 34% नींद ना आने से ग्रसित हैं।

अशान्ति से त्रस्त समुदाय भी प्रभावित

- संयुक्त राष्ट्र ने लड़ाई-झगड़ों और हिंसा से बचकर भाग रहे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की पुकार लगाई है। यू.एन. स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक 2019 में कोविड-19 का पहला मामला सामने आने से पहले ही अनेक देशों में मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहारे की विशाल जरूरतें थीं। इन हालात में हर पाँच में से एक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहारे की जरूरत होगी क्योंकि उनकी कोई ना कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या होगी।"
- यमन में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट ही नहीं है बल्कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य संकट भी है। यहाँ 70 लाख से ज्यादा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सहारे की जरूरत है।

भारत में कोरोना के कारण मानसिक अवसाद के मरीजों में वृद्धि

- कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मानसिक अवसाद के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में इसकी वजह से कम से कम एक दर्जन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। केरल में तो सात लोग लॉकडाउन के कारण से शराब नहीं मिलने की वजह से अवसादग्रस्त होकर जान दे चुके हैं। कई दूसरे राज्यों से भी ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं।
- देश भर में मानसिक अवसाद की वजह से आत्महत्या के मामलों को छोड़ भी दें तो भारी तादाद में लोग अवसाद की चपेट में आ रहे हैं। कोई कमाई ठप्प होने से अवसाद में है तो कोई लगातार घर में बंद रहने की वजह से। किसी को भविष्य की चिंता खाए जा रही है तो किसी को करियर की। यही वजह है कि अस्पतालों के मानसिक रोग विभाग

में ऐसे मरीजों की कतारें दिन-ब-दिन लंबी होती जा रही हैं।

- पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तो सैकड़ों लोग मानसिक अवसाद की चपेट में हैं। किसी को लगातार हाथ धोने की वजह से कोरोनाफोबिया हो गया है तो किसी को छींक आते ही कोरोना का डर सताने लगता है। ऐसे कई मरीज मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उनके पास सलाह के लिए आने वालों या फोन करने वालो में कई लोग ऐसे हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य पहले एकदम दुरुस्त था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़ों के मुताबिक देश की 1.30 अरब की आबादी में से नौ करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी किस्म के मानसिक अवसाद की चपेट में हैं। डब्ल्यूएचओ ने अपनी एक रिपोर्ट में वर्ष 2020 के आखिर तक 20 फीसदी आबादी के मानसिक बीमारियो की चपेट में आने का अंदेशा जताया था। लेकिन देश में नौ हजार से कुछ ही ज्यादा मनोचिकित्सकों की वजह से हर एक लाख मरीज पर महज ऐसा एक डाक्टर ही उपलब्ध है। इससे परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। लांसेंट साइकियाट्री में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अवसाद और घबराहट की बीमारियों से ग्रसित लोगों की तादाद वर्ष 1990 से 2017 के बीच बढ़ कर दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि हर पांचवां भारतीय किसी न किसी तरह के मानसिक अवसाद से ग्रस्त है। विडंबना यह है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एनएमएचपी) के लिए बजट में लगातार कटौती हो रही है। वर्ष 2018 में जहां इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान था वहीं वित्त वर्ष 2019 में इसे घटा कर 40 करोड़ कर दिया गया। इंडियन जर्नल आफ साइकियाट्री के एक हालिया अध्यन में कहा गया था कि मोटे अनुमान के मुताबिक मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 को लागू करने में 95 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन हकीकत में इसका एक छोटा हिस्सा भी इस पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इससे स्थिति और भयावह होने का अंदेशा है।

मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना

- डब्ल्यूएचओ मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लक्ष्य में सभी देशों की सरकारों का समर्थन करता है। डब्ल्यूएचओ ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमाणों का मूल्यांकन किया है और सरकारों के साथ इस जानकारी को प्रसारित करने और नीतियों और योजनाओं में प्रभावी रणनीतियों को एकीकृत करने के लिए काम कर रहा है।
- 2013 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2013-2020 के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना" को मंजूरी दी। यह योजना सभी डब्ल्यूएचओ के सदस्य राज्यों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और इस क्षेत्र में वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने के लिए एक प्रतिबद्धता है।
- इस कार्य योजना का संपूर्ण लक्ष्य मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना, मानसिक विकारों को रोकना, देखभाल प्रदान करना, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के मृत्यु दर, रुग्णता और विकलांगता को कम करना है। यह योजना 4 मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है:
    - मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना और शासन को मजबूत करना।
    - समुदाय-आधारित व्यवस्था में व्यापक, एकीकृत और उत्तरदायी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाएं प्रदान करना।
    - मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मानसिक रोगों के रोकथाम के लिए रणनीतियों को लागू करना।
    - मानसिक स्वास्थ्य के लिए सूचना प्रणाली, साक्ष्य और अनुसंधान को मजबूत करना।

आगे की राह

- मानसिक तनाव की स्थिति से बाहर निकलना बहुत जरूरी है वरना तनाव अंतहीन हो सकता है। सामान्य स्ट्रेस तो हमारे लिए अच्छा होता है इससे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है लेकिन ज्यादा स्ट्रेस, डिस्ट्रेस बन जाता है। ये तब होता है जब हमें आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। इससे व्यक्ति को घबराहट होती है, ऊर्जाहीन महसूस होता है। फिलहाल महामारी को लेकर इतनी अनिश्चितता और उलझन है कि कब तक सब ठीक होगा, पता नहीं। ऐसे में सभी के तनाव में आने का खतरा बना हुआ है।
- आँकड़े ये पुष्टि करते हैं कि चिकित्साकर्मियों और कर्मचारियों ने कोविड-19 के आपात हालात में मानसिक स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना किया है। इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा हालात को सम्भालने और लोगों की रक्षा के लिए उपाय मौजूद हैं। ऐसा संकट के दौरान ही करना होगा ताकि निकट भविष्य में हालात को और ज्यादा खराब होने से रोका जा सके। कोविड-19 की जवाबी कार्रवाई में सभी सरकारों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों का खयाल रखा जाना बेहद आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. चिकित्साकर्मियों और कर्मचारियों ने कोविड-19 के आपात हालात में मानसिक स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना किया है। इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा हालात को सम्भालने और लोगों की रक्षा के लिए उपाय मौजूद हैं। चर्चा कीजिये।

03 वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020 (Global Nutrition Report 2020) के अनुसार, भारत उन 88 देशों में शामिल है, जो संभवतः 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 एक ऐसे समय में सामने आया है, जब पूरा विश्व कोविड 19 जैसी महामारी की गिरफ्त में है।

परिचय

- शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक-तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बच्चों में कुपोषण की समस्या पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विश्व भर में 15 करोड़ से अधिक बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। आंकड़ों के अनुसार पांच साल के कम उम्र के बच्चों की मौतों में से आधी कुपोषण के कारण ही होती हैं।
- यूं तो कुपोषण सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है लेकिन गर्भवती महिला और शिशु के आरम्भिक वर्षों में बेहतर पोषण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे के मस्तिष्क और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विटामिन, कैल्शियम, आयरन, वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले पोषक तत्वों के साथ संतुलित आहार दिया जाए।
- जब बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व, खनिज और कैलोरी प्राप्त नहीं होते, जो बच्चों के अंगो के विकास में मदद करते हैं तब बच्चों का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कुपोषण के कारण बच्चों के शारीरिक व मानसिकता विकास में रुकावट ही नहीं बल्कि उनमें मानसिक विकलांगता, जी.आई. ट्रैक्ट संक्रमण, एनीमिया और यहां तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। शोधों के अनुसार कुपोषण न केवल पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, बल्कि उनके अत्यधिक सेवन के कारण भी समस्या हो सकती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2017 के बीच पूरे भारत में तमाम संकेतकों में सुधार हुआ है लेकिन कई राज्यों में जिलों के बीच असमानता बढ़ी है और भारत के जिलों के बीच विशाल अंतर है।
- गौरतलब है कि कोरोना वायरस के दौर में सभी को अधिक न्यूट्रिशन या पोषण की जरूरत है ताकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, लेकिन रिपोर्ट की मानें तो पोषण में असमानता के कारण वर्ष 2012 में कुपोषण को मिटाने के लिए 2025 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह पूरा होता नहीं दिख रहा है।

पोषण लक्ष्य

- वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) में माँ, शिशु और किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई, जिन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाना था।
- इन लक्ष्यों में प्राथमिक रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धिरोध या बौनापन के मामलों में 40% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया साथ ही 19-50 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया (Anaemia) के मामलों में 50% की कमी करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
- इसके अतिरिक्त कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामलों में 30% की कमी को सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया।
- विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा कहा गया कि बच्चों में मोटापे के मामलों में वृद्धि को पूरी तरह से रोकना व शिशु के जन्म के पहले 6 महीनों में अनन्य स्तनपान (जन्म के शुरुआती 6 माह में शिशु को केवल माँ का दूध) की दर को 50% तक बढ़ाना आवश्यक है।
- बाल निर्बलता/दुबलापन (Child wasting) के मामलों में कमी लाना और इसे 5% से कम बनाए रखना भी इन लक्ष्यों में शामिल है।

रिपोर्ट में भारत की स्थिति

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत चार मानकों जिनमें शामिल हैं- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धिरोध, प्रजनन योग्य आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामले, बच्चों में मोटापा और अनन्य स्तनपान,के किसी भी लक्ष्यों को नहीं पूरा कर सकेगा।
- रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2016 तक लड़कों में कम वजन के मामलों की दर 66% से घटकर 58.1% तक पहुँच गई, साथ ही इसी दौरान लड़कियों में कम वजन के मामलों की दर 54.2% से घटकर 50.1% तक पहुँच गई थी।
- हालाँकि कम वजन के मामलों में आई यह कमी अभी भी एशिया के औसत (लड़कों में 35.6% और लड़कियों में 31.8%) से काफी ज्यादा है।
- इसके अतिरिक्त भारत में 37.9% बच्चों में वृद्धिरोध या बौनेपन और 20.8% में निर्बलता या दुबलेपन के मामले देखे गए हैं जबकि एशिया में यह औसत क्रमशः 22.7% और 9.4% है।
- अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2017 में भारत में पाँच साल से कम उम्र के 10.4 लाख बच्चों की मौत हुई, जिनमें से 5.7 लाख शिशु थे। इसी प्रकार वर्ष 2000 के मुकाबले 2017 में पांच साल से कम उम्र के 22.4 लाख बच्चों की कम मौतें हुई, जबकि शिशुओं की मौत की संख्या में 10.2 लाख की कमी आई।
- भारत में पोषण की स्थिति बहुत गंभीर है, विश्व में सिर्फ नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश ही ऐसे हैं जहां हमसे भी खराब स्थिति है। बिहार-बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में 40 प्रतिशत से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात करें, तो भारत की आधी आबादी एनीमिया की शिकार है। झारखंड में तो 65 प्रतिशत से अधिक महिलाएं एनेमिक हैं।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रजनन आयु योग्य की दो महिलाओं में से एक महिला एनीमिक है, जबकि एक ही समय में अधिक वजन और मोटापे की दर लगातार बढ़ रही है,

जिससे वयस्कों का लगभग पांचवां हिस्सा (21.6% महिलाओं और 17.8% पुरुषों में) प्रभावित होता है।

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण का एक बड़ा कारण लिंग, भौगोलिक स्थिति, उम्र और जाति आधारित असमानता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुपोषण का कारण है, कम पोषण और अधिक वजन, मोटापा और अन्य आहार संबंधी पुरानी बीमारियां। भोजन और स्वास्थ्य प्रणालियों में असमानता पोषण के परिणामों में असमानता को बढ़ाती है जो बदले में अधिक असमानता पैदा कर सकती है।

आगे की राह

- वर्तमान में दुनिया COVID-19 से जूझ रही है जिसने, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के विभिन्न रूपों को उजागर किया है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कुपोषण को दूर करने के लिए सरकारों को पोषण कार्यक्रमों में वृद्धि के साथ धन के आवंटन को और बढ़ाना चाहिए।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे 'पोषण अभियान' के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में की गई। राष्ट्रीय पोषण मिशन की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय पोषण रणनीति' के तहत की गई है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 'कुपोषण-मुक्त भारत' बनाना है। इसके तहत वर्ष 2022 तक प्रति वर्ष बच्चों में स्टंटिंग की समस्या को तीन प्रतिशत तक कम करना और माँ बनने की उम्र में पहुंची महिलाओं में एनीमिया की समस्या को एक तिहाई कम करना है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, क्योंकि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि स्टंटिंग की समस्या में गिरावट पिछले 10 वर्षों में प्रति वर्ष

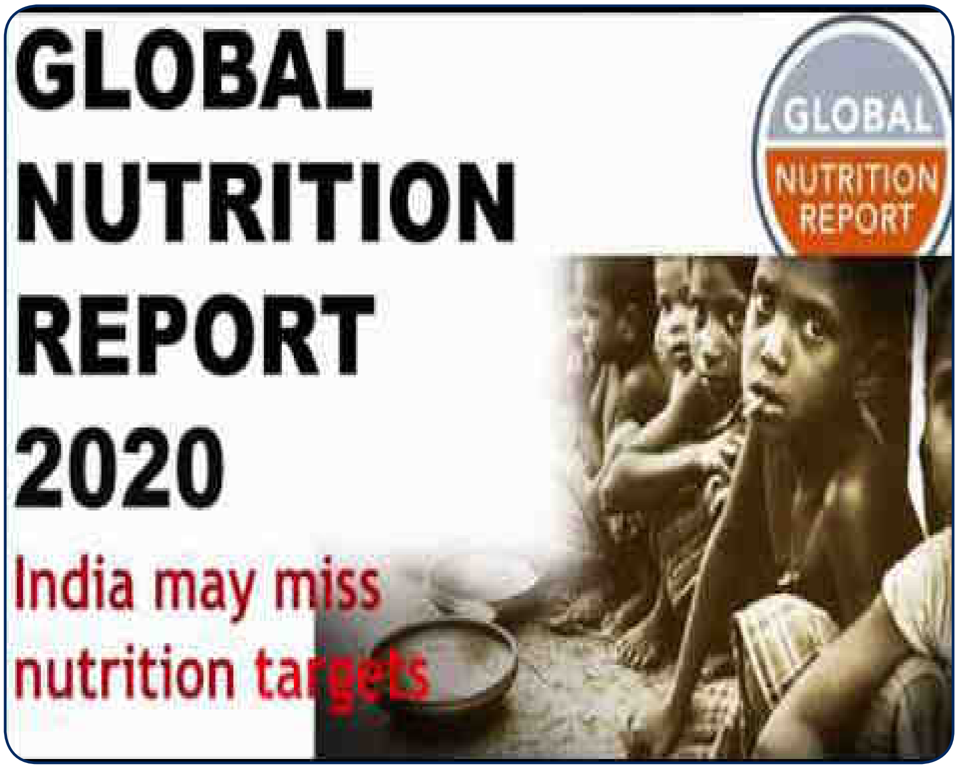

केवल दो प्रतिशत की हुई है अर्थात यह 2006 में 48 प्रतिशत थी और 2016 में कुछ कम 38.4 प्रतिशत तक रही।

- देश में भूख और कुपोषण से निपटने के लिये विकास दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों- कृषि, उद्योग और सेवा में ऊँचे लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- मौजूदा कृषि प्रणाली मुख्य रूप से चावल, गेहूं और मक्का जैसे अनाज की अधिकता पर केंद्रित है, न कि फलों, नट्स और सब्जियों जैसे अधिक विविध और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की व्यापक रेंज का उत्पादन करने पर। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाये।
- कुपोषण से लड़ने के लिए तीन सस्ते खाद्य-पदार्थों को खाने की सलाह एक शोध में सामने आई है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया है कि मूंगफली, चने और केले से तैयार किए गए आहार से आंतों में रहने वाले लाभदायक जीवाणुओं की हालत में सुधार होता है जिससे बच्चों का तेजी से विकास होता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि पोषणयुक्त आहार को बढ़ावा दिया जाए, जिससे की कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

प्र. वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020 के आलोक में बताएं कि भारत में कुपोषण के क्या कारण हैं? साथ ही इससे निपटने के उपायों पर भी चर्चा करें।

04 सरफेसी एक्ट के दायरे में सहकारी बैंक

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक अब सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के दायरे में आयेंगे और इसके अंतर्गत अब देश के सभी सहकारी बैंक डिफॉल्ट व्यक्तियों से वसूली करने के लिए सरफेसी अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निणर्य 2002 और 2007 में लिए गए अपने ही निर्णय के विरूद्ध है। इस निर्णय के पहले भी कई उच्च न्यायालयों द्वारा इस विवादित मुद्दे पर प्रश्न उठाये गये जो निम्नलिखित है:-
  - क्या, सहकारी बैंकों को 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत वित्तीय संस्थान कहा जा सकता है?
  - क्या, राज्य कानून के तहत गठित सहकारी बैंकों की वित्तीय संपत्तियों को विनियमित करने के लिए संसद के पास विधायी क्षमता है?
  - एक तर्क यह भी था कि 7 वीं अनुसूची की I और II सूचियों के तहत, संविधान, राज्य विधानसभा और संसद को विधायी प्रविष्टियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र प्रदान करता है और अगर एक बार, राज्य द्वारा पहले से ही अपने क्षेत्र का उल्लेख करते हुए एक वैध कानून बना दिया गया तो, एक ही विषय पर एक समानांतर संसदीय कानून बनाने की क्या आवश्यकता है?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार, सहकारी बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(सी) के तहत परिभाषित बैंकों की श्रेणी में आते हैं, अत: अधिनियम में निर्धारित की गई वसूली प्रक्रिया सहकारी बैंकों पर भी लागू होती है।
- इस निर्णय के माध्यम से राज्य और बहु-राज्य सहकारी बैंकिंग समितियाँ अब अपना बकाया वसूलने के लिये परिसंपत्तियों को जब्त कर सकती है और बेच सकती हैं।
- गौरतलब है कि इससे पूर्व सहकारी बैंकों को अपनी बकाया राशि की वसूली के लिये दीवानी न्यायालय के पास जाना पड़ता था। अब सरफेसी अधिनियम में दिये गए प्रावधानों का प्रयोग कर सहकारी बैंकों द्वारा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप बिना वसूली की जा सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम के तहत लाने का उद्देश्य दीवानी अदालत अथवा न्यायाधिकरण में मामले के निपटान में होने वाली देरी को कम करना है।

सरफेसी अधिनियम, 2002

- बैड लोन अर्थात गैर-निष्पादनकारी सम्पति (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) के रिकवरी के लिए बैंक एक प्रभावी उपकरण के रूप में सरफेसी अधिनियम का उपयोग करते हैं।
- सरफेसी की प्रमुख विशेषता यह है कि यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संचित एनपीए से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) और परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एएससी) की स्थापना को बढ़ावा देता है।
- यह अदालत के हस्तक्षेप के बिना ही किसी भी बैंक को वित्तीय संपत्ति हासिल करने या वैकल्पिक रूप से उसका समाधान करने के लिए उन उधारकर्ताओं की सम्पतियों पर कब्जा करने में सक्षम बनाता है जो 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने में विफल रहते हैं।
- सरकार ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunals-DRTs) को पुन: जीवंत करने और नए दिवालियापन कानून के तहत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए स्थापित 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) को सशक्त बनाने हेतु अगस्त 2016 में सरफेसी अधिनियम में संशोधन भी किया है।
- भारत की पहली परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC), ARCIL, इसी अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी।

सहकारी बैंक

- सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं, जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। देश के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूँजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है।
- भारत में सहकारी बैंक तीन स्तर पर कार्यरत हैं, जिनके विवरण निम्नलिखित हैं:
  - **राज्य सहकारी बैंक:** ये बैंक राज्य विशेष में कार्यरत हैं। ये केन्द्रीय अथवा जिला सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।
  - **केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक:** ये बैंक एक जिले विशेष में स्थित होते हैं। ये बैंक राज्य सहकारी बैंकों से ऋण लेकर अपनी चालू पूँजी में वृद्धि कर सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो यह बैंक राज्य सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं।
  - **प्राथमिक सहकारी साख समिति:** एक गाँव अथवा क्षेत्र के कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियाँ उत्पादक कार्यों जैसे कृषि क्षेत्र, आदि के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं।

सहकारी बैंकों का महत्व

- सहकारी बैंकों ने गाँवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- सहकारी बैंकों का प्रमुख महत्व ऋण देने को लेकर भी है। विदित हो कि ऐसे बैंक अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत काफी सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये कर्ज नकद और वस्तु दोनों ही रूपों में देते हैं। वस्तु के रूप में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को मुख्यत: बीज, खाद, यन्त्र, कीटाणुनाशक औषधियाँ, धान से चावल निकालने का हालर, आटा चक्की, तेलधानी, ट्रैक्टर, यांत्रिक हल आदि देते हैं। इस प्रकार सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण और कम पढ़ी-लिखी आबादी को परंपरागत उधारदाताओं के जाल से बचाते हैं।
- सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत काफी सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। कुल ग्रामीण ऋण में इसका 67 प्रतिशत हिस्सा है।
- यह उत्पादन, भंडारण और विपणन में सहायता के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करता है।
- सहकारी बैंकों ने कृषकों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को प्रोत्साहित किया है। केन्द्रीय सहकारी बैंक जमा को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए जमा धन पर साधारण दर से ब्याज भी देते हैं।
- वर्तमान समय में देश भर में सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और कृषि एवं कृषि-आधारित कार्यों में लगे लोगों के लिये आवश्यकता-आधारित वित्त प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं।
- हालाँकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश के सहकारी बैंकों को बदलते समय के साथ आवश्यकतानुसार बड़े बदलावों की आवश्यकता है।

सहकारी बैंकों की समस्याएं

आज देश के सहकारी बैंक जिस प्रकार संकट का सामना कर रहे हैं, वह देश की सहकारी बैंकिंग प्रणाली हेतु चिंता का विषय है। इस संदर्भ में उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सदस्यता मात्र 45 प्रतिशत ही है, जिसका मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के 55 प्रतिशत लोग आज भी सहकारिता से जुड़ नहीं पाए हैं। वर्ष 1972 में गठित बैंकिंग आयोग ने इसके लिये कुछ प्रमुख कारणों को जिम्मेदार माना, जैसे ऋण हेतु निश्चित सुरक्षा प्रदान करने में लोगों की अक्षमता, भूमि रिकॉर्ड का सही प्रबंधन न होना, निर्धारित क्रेडिट सीमा की अपर्याप्तता, ऋण चुकाने में सदस्य की अयोग्यता आदि।

- रिजर्व बैंक राज्यीय सहकारी बैंकों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसी प्रकार नाबार्ड द्वारा भी इन्हें पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, किन्तु राज्यीय सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक इन सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं उठाते हैं।
- आज भी सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहकारिता के आदर्शों के साथ-साथ व्यापारिक बैंकों की प्रभावी संचालन तकनीकी से अनभिज्ञ हैं।
- नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग और अन्य सभी आधुनिक बैंकिंग पद्धतियाँ हैं जिसके कारण, सहकारी बैंक विपणन के आधुनिक युग में पीछे होते जा रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं।
- इनका आकार मुख्यत: बहुत छोटा होता है और उनका संचालन केवल एक या दो गांवों तक ही सीमित रह जाता है , परिणामस्वरूप उनके संसाधन सीमित रह जाते हैं, जिससे उनके लिए अपने साधनों का विस्तार और संचालन के क्षेत्र का विस्तार करना असंभव हो जाता है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या सहकारी बैंकों पर नियंत्रण के द्वंद्व से उत्पन्न होती है, क्योंकि इनका नियमन और नियंत्रण तो RBI द्वारा किया जाता है परंतु इसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

आरबीआई की पहल

- केंद्रीय बैंक कुछ नियामक दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की योजना बना रहा है, जो एकल और समूह या इंटरकनेक्टेड उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय मानदंडों को बढ़ावा देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने से संबंधित हैं।
- RBI ने कहा कि उसने अक्टूबर 2018 में यूसीबी (शहरी सहकारी बैंक) के लिए आधारभूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण का एक सेट निर्धारित किया था और अब उसने यूसीबी के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचे को निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
- RBI के अनुसार, एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा जो बैंकों के डिजिटल उत्पाद की प्रकृति, विविधता और पैमाने के आधार पर उत्तरोत्तर मजबूत सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को अनिवार्य करेगा।
- आरबीआई के सेंट्रल क्रेडिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) फ्रेमवर्क के तहत 500 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति के साथ UCBs लाने का निर्णय लिया गया है।

आगे की राह

- सहकारी बैंकिंग प्रणाली में वॉचडॉग यानी ऑडिटर को और अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आएं हैं जहाँ ऑडिटर और जाँच संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद भी लोगों ने घोटाले किये।
- निदेशक मंडल द्वारा, उचित और नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों के अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।
- क्रेडिट सोसायटी से ऋण को इस तरह से और ऐसी शर्तों के तहत प्रदान किया जाना चाहिए कि इनका उपयोग उत्पादकता के लिए किया जाए और इसका दुरुपयोग न हो।
- देश में सहकारी बैंकों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम देश में बैंकिंग प्रणाली को जन-जन तक पहुँचा पाए हैं, परंतु सहकारी बैंकों संबंधी घोटालों को देखते हुए यह भी आवश्यक है कि देश का सहकारी बैंकिंग ढाँचा स्वयं में कुछ बुनियादी परिवर्तन करे।
- सहकारी समितियों की विफलता का मतलब ग्रामीण भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ आशा की विफलता होगी। सदस्यों और अन्य हितधारकों को प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखते हुए सरकार को सहकारी समितियों की स्वायत्त और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. सहकारी बैंकों के सरफेसी अधिनियम के दायरे में आने के क्या तात्पर्य हैं? उल्लेख करें।

05 लोचशील अर्थव्यवस्था : वर्तमान समय की मांग

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी ने लगभग सभी क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इस महामारी ने अर्थशास्त्र के कई स्थापित सिद्धांतों को चुनौती दी है। ये सिद्धांत पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक नीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

परिचय

- वर्तमान की घटित कई घटनाओं ने यह जता दिया है कि अर्थशास्त्र के अब परम्परागत सिद्धांत अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु उतने उपयुक्त नहीं हैं, कोविड-19 महामारी ने तो इस बात की पुष्टि ही कर दी है।
- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से सामना करने हेतु अर्थव्यवस्था को अधिक लोचशील (Resilient) होना चाहिए लेकिन इसकी अभी नितांत कमी देखी जा रही है।
- लोचशील अर्थव्यवस्था (Resilient Economy) का तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जो अपने समक्ष आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना आसानी से कर सके।
- इस लेख में किसी अर्थव्यवस्था में लचीलापन लाने हेतु कुछ आर्थिक सिद्धांतों या विचारों की चर्चा की गयी है। जैसे:-

अर्थव्यवस्था में लचीलापन

- अर्थव्यवस्था को लोचशील बनाने हेतु कुछ बातों पर ध्यान दिया जा सकता है, यथा-
  - (i) आर्थिक प्रगति के आकलन में संशोधन
  - (ii) देशों के बीच सीमाओं (Boundaries) की उपयुक्त निगरानी
  - (iii) सरकार की औद्योगिक क्षेत्र में विनियामकीय भूमिका
  - (iv) बाजार का यथोचित विनियमन
  - (v) नागरिकों का कल्याण (Welfare)
  - (vi) सहभागिता (Collaboration)
  - (vii) सार्वजनिक बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property) पर सभी का अधिकार

आर्थिक प्रगति के आकलन में संशोधन

- अर्थशास्त्र में परम्परागत रूप से प्रगति (Progression) को मापने हेतु जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के सिद्धांत को अपनाया जाता है अर्थात् किसी राष्ट्र ने कितनी प्रगति की है उसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है, लेकिन अब इस सिद्धांत की कई सीमाएँ हैं-
  - (i) जीडीपी का सिद्धांत प्रगति को मापने के क्रम में जीवन की गुणवत्ता (Quality of life) पर फोकस नहीं करता है।
  - (ii) महिलाओं के घरेलू कार्यों को जीडीपी के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जो इसकी सीमा को रेखांकित करता है।
  - (iii) समाज में आर्थिक असमानता कितनी है? इसको भी जीडीपी के सिद्धांत में शामिल नहीं किया जाता है।
  - (iv) आर्थिक क्रियाओं से निश्चित तौर पर पर्यावरण क्षति पहुँचती है, लेकिन जीडीपी के सिद्धांत में ऐसा कुछ भी आकलित नहीं किया जाता है कि यह पर्यावरण क्षति भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था व मानव जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकती है।
- इस प्रकार प्रगति को मापने हेतु जीडीपी के सिद्धांत में उपर्युक्त सीमाओं के चलते यथास्थिति का पता नहीं लग पाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु जरूरी कदम सही से नहीं उठ पाते हैं और अर्थव्यवस्था में लचीलापन भी कम आता है।
- कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रगति मापन में जरूरी संशोधन होने चाहिए और इसके लिए मानव विकास सिद्धांत (Human Development Index-HDI), ग्रॉस हैपीनेस इंडेक्स (Gross Happiness Index-GHI) आदि पर ध्यान दिया जा सकता है।
- कुछ अर्थशास्त्री डीग्रोथ (Degrowth) के सिद्धांत पर जोर दे रहे हैं। डीग्रोथ, वैश्विक खपत और उत्पादन को यथोचित रूप से कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है और जीडीपी के बजाय समृद्धि के संकेतक के रूप में कल्याण के साथ एक सामाजिक रूप से उचित और पारिस्थितिक रूप से स्थाई समाज की वकालत करता है।

> - **मानव विकास सूचकांक (एचडीआई):** विकास गुणात्मक होता है, अतः उसे गणितीय रूप में नहीं मापा जा सकता है लेकिन मोटे रूप में उसकी स्थिति और दिशा को समझने के लिए यूएनडीपी द्वारा 1990 से एचडीआई का निर्माण किया जा रहा है। 2010 में इसके निर्माण की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किये गये। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, इसमें प्रयुक्त होने वाले आयामों को निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है-
>   - दीर्घ और स्वस्थ्य जीवन
>   - ज्ञान
>   - जीवन स्तर
> - **ग्रॉस हैपीनेस इंडेक्स (जीएचआई):** इसे भूटान सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस सूचकांक में सामूहिक खुशी, जनसंख्या के कल्याण आदि जैसे आयामों पर बल प्रदान किया जाता है।

देशों के बीच सीमाओं की उपयुक्त निगरानी

- वैश्वीकरण के समर्थकों का कहना है कि मुक्त व्यापार से विभिन्न देश अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुक्त व्यापार ने अमीर देशों को एक उत्पादक राष्ट्र और गरीब देशों को एक उपभोक्ता राष्ट्र के रूप में तब्दील कर दिया है। इससे गरीब देशों की प्रगति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।
- यदि देश की सीमाओं पर माल, सेवाओं, श्रमिकों आदि की आवाजाही पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध होंगे तो विकासशील व गरीब देश

अपने उद्योगों की सुरक्षा करते हुए अपना विकास सुनिश्चित कर सकेंगे।

- कोविड-19 महामारी ने भी राष्ट्रों को अपनी सीमाओं पर उपयुक्त निगरानी करने को विवश किया है। यही कारण है कि यूरोपीय संघ में फिलहाल सेंजेन वीजा (Schengen Visa) को रद्द कर दिया गया है।

सरकार की औद्योगिक क्षेत्र में विनियामिकीय भूमिका

- अभी तक छोटी से लेकर बड़ी कम्पनियाँ सरकार की औद्योगिक गतिविधियों में भूमिका को कम से कम देखना चाहती थीं लेकिन कोविड-19 महामारी ने इन कम्पनियों को सरकार द्वारा बेल-आउट पैकेज माँगने हेतु विवश कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की औद्योगिक क्षेत्रों में उपयुक्त विनियामिकीय भूमिका अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है और उसे लचीला बनाती है।

बाजार द्वारा यथोचित विनियमन

- बाजार के मामले में परम्परागत रूप से एडम स्मिथ का 'अहस्तक्षेप का सिद्धांत' को मान्यता प्राप्त है। इस सिद्धांत के अनुसार, सरकार को सब कुछ बाजार पर छोड़ देना चाहिए अर्थात् अदृश्य हाथों (Invisible hands) की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। जब हर इंसान अपने फायदे हेतु कार्य करेगा तो समग्र रूप से खुशहाली आ जायेगी।
- दूसरी तरफ कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वर्तमान में बाजार को प्रबंधित करने में मुद्रा की प्रमुख भूमिका है अर्थात् मुद्रा की सहायता से लोग वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदते व बेंचते हैं। इस प्रक्रिया में जिनके पास पैसा अधिक होगा वह वस्तुओं व सेवाओं का अधिक उपभोग कर पायेंगे और जिनके पास कम होगा वह कम उपभोग कर पायेंगे। इससे समाज में आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है।
- विभिन्न रिपोर्ट भी कहती हैं कि सरकार द्वारा सब कुछ बाजार पर छोड़ने से पिछले 50 वर्षों में आर्थिक असमानता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, अतः सरकार का बाजार पर यथोचित नियमन होना चाहिए तभी अर्थव्यवस्था में लचीलापन लाया जा सकता है।

नागरिकों का कल्याण

- अर्थशास्त्र के सिद्धातों में मानव को एक उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है और उसके आर्थिक कल्याण हेतु खपत (Consumption) को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपभोक्ताओं का कल्याण इतने भर से ही सुनिश्चित हो जाता है कि उन्हें सस्ती सेवाएँ एवं वस्तुएँ मिलने लगें।
- इसके विपरीत कुछ आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि मानव के कल्याण में सिर्फ आर्थिक पक्ष ही नहीं है बल्कि इसके कई आयाम हैं, यथा-सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमापूर्ण जीवन आदि। अतः इन सब आयामों पर ध्यान देकर अर्थव्यवस्था को बुनियादी तौर पर मजबूत व लचीला बनाया जा सकता है।

सहभागिता

- परम्परागत रूप से मानव के उत्थान को प्रतिस्पर्द्धा (Competition) से घनिष्ठ रूप से जोड़कर देखा जाता रहा है। इस समय लगभग हर क्षेत्र में गला-काट प्रतिस्पर्द्धा देखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ प्रतिस्पर्द्धा से ही नहीं बल्कि सहभागिता से भी प्रगति को पाया जा सकता है।
- यदि सभी मिलकर आगे बढ़ें तो न सिर्फ एसडीजी (सस्टेनबल डेवलपमेंट गोल्स) को 2030 तक प्राप्त किया जा सकता है बल्कि जल्द से जल्द कोविड-19 महामारी से सम्बन्धित वैक्सीन या दवा को भी विकसित किया जा सकता है।

सार्वजनिक बौद्धिक सम्पदा पर सभी का अधिकार

- आज बौद्धिक सम्पदा एक महत्त्वपूर्ण संपत्ति (Wealth) के रूप में उभरी है, अतः इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए कि जिस बौद्धिक सम्पदा पर सभी का अधिकार हो उसे कोई प्रतिबंधित न कर पाये।
- सार्वजनिक बौद्धिक सम्पदा तक लोगों की आसान पहुँच होगी तो अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ बढ़ेंगी।

लोचशील अर्थव्यवस्था के लाभ

- इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चुनौतियों से सामना करने में ध्वस्त नहीं होती है बल्कि चुनौतियों से जूझती हुई समय के अनुसार नये आकार में उभरकर बाहर आती है।
- इससे समाज को और ज्यादा न्यायसंगत (Just) बनाया जा सकता है। न्यायसंगत समाज, उसे कहते हैं जहाँ असमानताएँ कम हों, सभी को अपने विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध हों इत्यादि।

आगे की राह

- कोविड-19 महामारी एक अभूतपूर्व घटना है जो विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। इसलिए इसकी चुनौतियों से निपटने हेतु सभी को मिलकर अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. लोचशील अर्थव्यवस्था (Resilient Economy) से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था में किन सिद्धांतों द्वारा लचीलापन लाया जा सकता है? संक्षेप में चर्चा करें।

06 आत्मनिर्भर भारत अभियान : संकट को अवसर में बदलने की पहल

चर्चा का कारण

- कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते देश में पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना करने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है।
- इसी संदर्भ में वित्त मंत्री ने हाल ही में विशेष आर्थिक पैकेज के पांच किश्तों का ऐलान किया जिसमें से पहले किश्त में एमएसएमई, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, बिजली वितरण कंपनियां, आदि को शामिल किया गया। दूसरे किश्त में फेरी वालों, प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, इत्यादि पर फोकस किया गया है। इसी तरह तीसरे किश्त में कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा आदि को शामिल किया गया है।
- इसके अलावा आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन , आदि को शामिल किया गया है और पांचवी किश्त में मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, कंपनी अधिनियम का गैर-अपराधिकरण, इत्यादि सम्मिलित है।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गयी थी जिसके लिए 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, जो भारत की जीडीपी का 10 प्रतिशत है।
- गौरतलब है कि इस पैकेज के बड़े हिस्से (लगभग 8.06 लाख करोड़) का ऐलान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी, मार्च, अप्रैल में कई माध्यमों से सिस्टम में तरलता लाने के लिए किया जा चुका है। इसके अलावा मार्च के अंत में वित्त मंत्री ने 1.7 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगाने की घोषणा की थी अर्थात ये दोनों पहले ही 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का 40 प्रतिशत हिस्सा कवर कर चुके हैं।
- इस पैकेज का उद्देश्य महामारी के दौरान विशेष रूप से सबसे गरीब और कमजोर समुदायों का समर्थन करना है साथ ही बुनियादी ढांचे का विकास कर अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना है।

आत्मनिर्भर भारत योजना

- इस योजना में कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग और उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों और सेक्टरों को भी शामिल किया गया है।
- आत्मनिर्भर भारत मिशन का उद्देश्य वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु सामानों की गुणवत्ता और सुरक्षा में आवश्यक सुधार करके आयात निर्भरता में कटौती करना है।
- यह मिशन स्थानीय उत्पादों के महत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस मिशन को दो चरणों में पूरा किया जाएगा:
  - पहले चरण में चिकित्सीय वस्त्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और खिलौनों जैसे क्षेत्रों पर विचार किया जायेगा, जिससे स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।
  - दूसरे चरण में रत्न और आभूषण, फार्मा और स्टील, जैसे उत्पादों पर विचार किया जायेगा।
- आत्मनिर्भर भारत मिशन से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में बढ़ोत्तरी की भी उम्मीद है, जो भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है।
- अपने घोषणा में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पांच स्तंभों पर खड़ा होगा,जिनमें शामिल हैं:

1) **अर्थव्यवस्थाः** जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल (क्वांटम जम्प) पर आधारित हो।
2) **अवसंरचनाः** ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
3) **प्रौद्योगिकीः** 21 वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली हो।
4) **गतिशील जनसांख्यिकीः** जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है।
5) **मांगः** भारत में मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रथम किश्त में उपायों की घोषणा

एमएसएमई की परिवर्तित परिभाषा

- नई परिभाषा के तहत अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को परिभाषित करने के लिए निवेश और टर्न ओवर दोनों का उपयोग किया जायेगा जिसके अनुसार अब 1 करोड़ रुपये तक के निवेश और 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्न ओवर को माइक्रो यूनिट कहा जाएगा, 10 करोड़

रुपये के निवेश और 50 करोड़ रुपये के टर्न ओवर को स्माल यूनिट के रूप में और 20 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 100 से अधिक के टर्न ओवर को मीडियम यूनिट कहा जाएगा।

- इसके अलावा नई परिभाषा के तहत विनिर्माण और सेवा आधारित एमएसएमई के बीच अंतर को हटाया जा रहा है।

Existing and Revised Definition of MSMEs

Existing MSME Classification			
Criteria : Investment in Plant & Machinery or Equipment			
Classification	Micro	Small	Medium
Mfg. Enterprises	Investment<Rs. 25 lac	Investment<Rs. 5 cr.	Investment <Rs. 10 cr.
Services Enterprise	Investment<Rs. 10 lac	Investment<Rs. 2 cr.	Investment<Rs. 5 cr.

Revised MSME Classification			
Composite Criteria : Investment And Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment< Rs. 1 cr. and Turnover < Rs.5 cr.	Investment< Rs. 10 cr. and Turnover < Rs.50 cr.	Investment< Rs. 20 cr. and Turnover < Rs.100 cr.

एमएसएमई को अतिरिक्त मुक्त ऋण

- MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। इन ऋणों से 45 लाख लघु और मध्यम इकाइयों को लाभ होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ (एचएफसी) और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई)

- सरकार द्वारा इन कंपनियों में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रवाह हो सके।
- योजना के तहत, सरकार ऐसे ऋणों पर होने वाले नुकसान का पहला 20% वहन करेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि

- पीएमजीकेपी के तहत शुरू की गई योजना, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के वेतन का 12% योगदान ईपीएफ में दिया था इसे अब जून, जुलाई और अगस्त 2020 अर्थात 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। जिससे 72.22 लाख कर्मचारियों को लगभग 2500 करोड़ का कुल लाभ प्राप्त होगा।
- इसके अलावा अगले 3 महीनों के लिए EPFO द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का वैधानिक पीएफ योगदान मौजूदा 12% से घटाकर 10 % कर दिया गया है।

रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए राहत

- राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है, कि RERA के तहत फोर्स मेजर क्लॉज को लागू किया जाए। सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण करने की तिथि 6 महीने तक बढ़ाई जाएगी और राज्य की स्थिति के आधार पर इसे 3 महीनों तक और बढ़ाया जा सकता है।

अन्य उपाय

- इस पैकेज द्वारा बिजली वितरण कंपनियों में लगभग 90,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। ये निवेश राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत किए जाने वाले ऋण के रूप में होगा।
- रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां द्वारा ठेकेदारों को संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 महीने तक का विस्तार मिलेगा।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वेतनभोगी श्रमिकों और करदाताओं को आयकर रिटर्न के लिए विस्तारित समय सीमा के रूप में कुछ राहत प्रदान की गई थी, जिसकी नियत तिथि अब 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है।
- चालू वित्त वर्ष के शेष दिनों के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) और टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स (टीसीएस) की दरों में अब 25% की कटौती की जाएगी।

द्वितीय किश्त में उपायों की घोषणा

प्रवासियों हेतु

- सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में दो महीने के लिए प्रति माह यानि मई और जून, 2020 के लिए प्रति प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त में आवंटित किया जाएगा।
- इसके तहत वे प्रवासी मजदूर भी पात्र होंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश में राशन कार्ड के बिना है। इसके लिए आबंटित 3500 करोड़ रुपये का पूरा परिव्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड

- वन नेशन वन राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के लिए पायलट स्कीम को 23 राज्यों तक बढ़ाया जाएगा।
- अगस्त, 2020 तक पीडीएस की 83% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत 67% लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। मार्च, 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

शिशु-मुद्रा ऋण

- 12 महीने की अवधि के लिए शिशु-मुद्रा ऋण के तहत छोटे व्यवसायों के लिए 1,500 करोड़ रु का आबंटन किया गया है।
- नियमित भुगतान करने वाले ऋण खाताधारकों के लिए सरकार 2% ब्याज का भुगतान भी करेगी।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट सुविधा

- स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट की आसान पहुंच के लिए एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी।
- लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी के साथ 5,000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी।

PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का विस्तार

- 31 मार्च, 2021 को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र में और मध्यम-आय वाले समूहों के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- इससे आवास क्षेत्र में संरचनात्मक बढ़ावा देकर नौकरियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और यह इस्पात, सीमेंट, परिवहन और अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करेगा।

CAMPA फंड का उपयोग

- आदिवासियों हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) को 6,000 करोड़ रु का आबंटन किया जायेगा।
- यह शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त पूंजी

- फसली ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी को तीन करोड़ किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी आवंटित की जाएगी।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रियायती ऋण में वृद्धि की जाएगी।
- अबतक 25,000 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

तृतीय किश्त में उपायों की घोषणा

कृषि-आधारभूत संरचना के लिए एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

- फार्म-गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप्स इत्यादि) में कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

सूक्ष्म खाद्य उद्यम (MFE)

- 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) की मदद के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है। इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार, खुदरा बाजारों के एकीकरण जैसे मुद्दों पर फोकस किया जायेगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)

- समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यपालन के एकीकृत, सतत, समावेशी विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" शुरू की इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

- फुट एंड माउथ डिजीज और रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों से निपटने और पशुधन को बढ़ाने के उद्देश्य से 100% टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ "राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम" शुरू किया गया।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

- पशु चारे और डेयरी प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे में मूल्य संवर्धन हेतु निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपये का एक "पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष" स्थापित किया जाएगा।

हर्बल खेती को बढ़ावा

- 4,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10,00,000 हेक्टेयर को अगले दो वर्षों में हर्बल खेती के तहत कवर किया जाएगा।
- राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, गंगा नदी के किनारे औषधीय पौधों के गलियारे को विकसित करने के लिए 800 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग करेगा।

मधुमक्खी पालन की पहल

- 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि करने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना लाई जाएगी।
- सरकार ने इस योजना के तहत निम्नलिखित को शामिल किया है-
  - एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्र, पोस्ट हार्वेस्ट और मूल्य वृद्धि सुविधाओं आदि से संबंधित बुनियादी ढाँचा विकास।
  - मानकों का कार्यान्वयन और ट्रेसबिलिटी सिस्टम का विकास करना।
  - महिलाओं के क्षमता निर्माण पर विशेष जोर।
  - गुणवत्तापूर्ण केन्द्रीय स्टॉक और मधुमक्खी प्रजनकों का विकास।
- इसके अलावा अपने तीसरे किश्त की घोषणा में वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। इस योजना में सरप्लस से घाटे वाले बाजारों में परिवहन पर 50% अनुदान, भंडारण (कोल्ड स्टोरेज सहित) पर 50% अनुदान प्रदान करेगी और इसे अगले 6 महीनों के लिए पायलट के रूप में लॉन्च किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र हेतु सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

- सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी जिसके अंतर्गत अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को डि-रेगुलेट कर दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय आपदाओं जैसे अकाल या बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में वृद्धि के साथ स्टॉक सीमा लागू की जाएगी।

2. कृषि विपणन सुधार

- एक केंद्रीय कानून बनाकर निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जायेंगी।
- किसान को अपनी उपज को पारिश्रमिक मूल्य पर बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प।
- अवरोध मुक्त अंतर-राज्य व्यापार।
- कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा।

3. कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता आश्वासन

- किसानों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रोसेसर, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ जोड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा जिससे किसानों के लिए जोखिम रहित खेती, निश्चित आय और गुणवत्ता के मानकीकरण को बरकरार रखा जाए।

चौथी किश्त उपायों की घोषणा

- भारत सरकार ने सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अंतर्गत निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

रक्षा क्षेत्र

1. स्वदेशीकरण का प्रयास

- रक्षा उत्पादन को स्वदेशी बनाने और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से, कुछ हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान किये गये हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ हर साल ऐसे हथियारों की सूची को और व्यापक किया जाएगा।
- आयातित कलपुर्जों के स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए एक अलग बजट का प्रावधान किया गया है। इससे रक्षा आयात बिल को कम करने और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

2. विदेशी निवेश को बढ़ावा

- रक्षा सम्बन्धी निर्माण के तहत स्वचालित मार्ग द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी।

3. आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण

- आयुध निर्माणी बोर्ड की स्वायत्तता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार हेतु इसे स्टॉक मार्केट में कॉरपोरेटाइज और सूचीबद्ध किया जाएगा, हालांकि उनका निजीकरण नहीं किया जाएगा।
- रक्षा क्षेत्र में समयबद्ध खरीद प्रक्रिया के लिए एक सिस्टम स्थापित किया जाएगा, इससे निर्णय लेने में तेजी आयेगी।

खनिज क्षेत्र

1. कोयला

- कोयला क्षेत्र में राजस्व बंटवारे के आधार पर सरकार के एकाधिकार को, वाणिज्यिक खनन की शुरूआत के साथ हटा दिया जाएगा।
- किसी भी निजी व्यापारी को कोयला ब्लॉक की नीलामी और उसे खुले बाजार में बेचने की अनुमति होगी, जैसा कि पहले की व्यवस्था थी कि केवल अंतिम उपयोग वाले उपभोक्ता ही कोयला ब्लॉक की नीलामी सकते थे।
- निकासी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

2. अन्य खनिज

- खनिजों के लिए सम्मिलित अन्वेषण-खनन-सह उत्पादन के प्रबंधन की घोषणा की जाएगी जिसके तहत 500 खनन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी।

अंतरिक्ष क्षेत्र

- अंतरिक्ष परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट बनाने और लॉन्चिंग के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे।
- निजी क्षेत्र को उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
- सरकार भू-स्थानिक डेटा नीति को सुगम बनाने के लिए सुदूर-संवेदी आंकड़ों (रिमोट सेंसिंग डेटा) को अधिक व्यापक रूप से तकनीकी उद्यमियों (टेक-इंटरप्रेन्योर) के लिए उपलब्ध कराएगी।

विमानन क्षेत्र

- हवाई क्षेत्र के प्रतिबंधों को कम करने के ऐसे उपायों की घोषणा की गई है जो उड़ान को और अधिक कुशल बनाएंगे , हालाँकि वर्तमान में केवल 60% हवाई क्षेत्र ही स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।
- विमानन क्षेत्र के एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और संचालन) सेक्टर ने हाल की घोषणाओं में ध्यान आकर्षित किया है। सरकार का इरादा, भारत को एमआरओ हब बनाना है।
- भारत के अधिकांश विमान अपने रखरखाव और मरम्मत कार्यों को करने के लिए विदेश जाते हैं इसलिए, सरकार ने देश के भीतर ही इन एमआरओ क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

बिजली क्षेत्र

- सरकार की योजना टैरिफ नीति लाने की है, जिसमें उपभोक्ता अधिकारों, उद्योगों को बढ़ावा देने और क्षेत्र की स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।
- इसके अलावा नई टैरिफ नीति के आधार पर, यूटी (U-Ts) में बिजली विभागों और वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा।

परमाणु क्षेत्र

- मेडिकल आइसोटोप के उत्पादन के लिए पब्लिक-प्राइवेट पाट्नरशिप के द्वारा अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा।
- अनुसंधान सुविधाओं और तकनीकी-उद्यमियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और परमाणु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के लिए भारत के मजबूत स्टार्ट-अप इको सिस्टम द्वारा सह-उष्मीय (इन्क्यूबेशन) केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पांचवी किश्त के उपायों की घोषणा

मनरेगा योजना

- मनरेगा योजना के लिए सरकार द्वारा 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इससे 300 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
- इस धन का उपयोग अतिरिक्त नामांकन करने के लिए किया जाएगा, विशेष रूप से उन प्रवासी श्रमिकों के लिए जो कोरोना के कारण अपने राज्य में लौट रहे हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र

- इसके अंतर्गत सरकार ने घोषणा की कि सभी जिलों में संक्रामक रोग ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, जिला स्तर पर सार्वजनिक प्रयोगशालाएँ स्थापित की जायेंगी।
- एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य सम्बन्धी ब्लूप्रिंट लागू किया जायेगा और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जायेगा।
- इसके अलावा शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की

आत्मनिर्भर भारत पैकेज की सभी घोषणाओं का योग (करोड़ रुपये में)

पहली घोषणा	5,91,550
दूसरी घोषणा	3,10,000
तीसरी घोषणा	1,50,000
चौथी व पांचवी घोषणा	48,100
उपयोग	11,02,650
पीएमकेजीपी सहित पूर्व उपाय	1,92,800
रिजर्व बैंक के उपाय (वास्तविक)	8,01,603
उपयोग	9,94,403
कुल योग	20,97,053

अनुमति दी जा चुकी है। अब अतिशीघ्र डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करने के लिए एक ई-विद्या कार्यक्रम शुरू किया जाना है तथा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए एक टीवी चैनल शुरू किया जाना है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता

- महामारी की स्थिति के आधार पर, एक वर्ष के लिए कोई नई दिवालिया सम्बंधी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 240-ए के तहत एक विशेष इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।
- इनसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करने की न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।

कंपनी अधिनियम का गैर अपराधीकरण

- छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को आपराधिक सूची से हटा दिया जाएगा। पहले इसे आपराधिक रूप में देखा जाता था।
- कंपनी अधिनियम में संशोधन कर अधिकांश मिश्रित (कंपाउंडेबल) अपराधों को आंतरिक सहायक तंत्र (इंटरनल सपोर्ट सिस्टम) में स्थानांतरित किया जायेगा।
- ये संशोधन आपराधिक अदालत (क्रिमिनल कोर्ट) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)की बाधाएं दूर करेगा।
- निजी कंपनियां अब विदेशों में शेयरों को सीधे सूचीबद्ध करा सकती हैं। यह भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी घोषणा है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- स्टॉक एक्सचेंजों में गैर-परिवर्तनीय ऋण (नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर) को सूचीबद्ध करने वाली निजी कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में माना जायेगा।

राज्य सरकार

- केंद्र सरकार की तरह ही, राज्य सरकारें भी राजस्व में भारी गिरावट देख रही हैं। कर राजस्व के रूप में राज्यों से अब तक लगभग 46,038 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।
- इसलिए भारत सरकार ने ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में रहने के दिनों की संख्या में वृद्धि की है। केंद्र सरकार अब राज्यों को जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का 5% तक उधार लेने की अनुमति देगी। इसका मतलब है कि राज्य अब 4.28 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। राज्यों की अग्रिम सीमा में 60% की वृद्धि की गई है।

निष्कर्ष

- कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार की इस मुहिम में इन आर्थिक सहूलियतों से एक नया बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। कोरोना के खिलाफ चलने वाली ये जंग कितनी लम्बी होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इस ऐलान से सरकार ने समाज के हर नागरिक और खासकर पिछड़े तबके के लोगों में एक नयी उम्मीद की किरण जगाई है।
- हालांकि यह पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में RBI द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है।
- सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शमिल होते हैं। जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है। परंतु सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण सुगमता उपायों का लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाता है।
- इस प्रकार घोषित राशि GDP के 10% होने के बावजूद GDP के 5% से भी कम राशि प्रत्यक्ष रूप में लोगों तक पहुँचने की उम्मीद है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई। इस राहत पैकेज के सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा करें।

07 वैश्विक वन संपदा आकलन 2020 : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 जारी किया गया जिसके अनुसार, 1990-2020 की अवधि में निर्वनीकरण की दर में गिरावट आई है। वन संसाधन आकलन (2020) पिछले तीस सालों की अवधि में 236 देशों और प्रदेशों में 60 से अधिक वन-संबंधी भू-भाग मूल्यांकन पर आधारित है।

रिपोर्ट का विश्लेषण

- रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन दशकों में दुनिया भर में वन क्षेत्र में गिरावट तो आई है, साथ ही 1990 के बाद से विश्व में 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट भी हो गए परन्तु, सतत प्रबंधन की वृद्धि के कारण वनोन्मूलन की दर में भी गिरावट आई है। 2015-2020 में वन हानि की दर ,2010-2015 के 12 मिलियन हेक्टेयर से घटकर लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है।
- 1990 के दशक में निवल वनोन्मूलन की दर 7.8 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष से घटकर 2000-2010 में 5.2 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष और 2010-20 में 4.7 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गई।

वैश्विक स्थिति

- वैश्विक स्तर पर, 2010-2020 के बीच सबसे ज्यादा वनोन्मूलन की वार्षिक दर 3.9 मिलियन हेक्टेयर अफ्रीका में थी, इसके बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वनोन्मूलन की दर दक्षिण अमेरिका (2.6 मिलियन हेक्टेयर) में थी।
- दूसरी ओर, 2010-2020 के बीच वनीकरण की दर में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाले महाद्वीपों में क्रमश: एशिया और यूरोप रहे हैं, हालांकि यूरोप और एशिया में 2000-2010 की तुलना में 2010-2020 में शुद्ध लाभ दर कम प्राप्त हुई।

वन क्षेत्र

- रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी के भू-भाग का 31% अर्थात 4.06 बिलियन हेक्टेयर कुल वन क्षेत्र है। रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र प्रति व्यक्ति 0.52 हेक्टेयर के बराबर है।
- विश्व के वनों का सबसे बड़ा अनुपात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र (45 प्रतिशत) में है, इसके बाद शीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं।
- विश्व का 54 प्रतिशत से अधिक वन केवल पाँच देशों रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में है।
- हालाँकि, 1990 के बाद से दुनिया भर में प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन क्षेत्रों में कमी आई है, लेकिन लगाए गए (प्लांटेड) वनों के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है।
- वृक्षारोपण वैश्विक वन क्षेत्र का लगभग 3% वन आच्छादन अर्थात् 131 मिलियन हेक्टेयर है, वृक्षारोपण वनों का सबसे अधिक प्रतिशत दक्षिण अमेरिका में है जबकि सबसे कम यूरोप में है।
- वैश्विक स्तर पर संरक्षित वन क्षेत्रों का अनुमान लगभग 726 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से दक्षिण अमेरिका में संरक्षित वन क्षेत्रों का सर्वाधिक हिस्सा (31%) है।

वनोन्मूलन

- मानव गतिविधियों की सुविधा के लिए जंगलों से बड़े पैमाने पर पेड़ों को हटाने को वनोन्मूलन कहा जा सकता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इससे जैव विविधता ,जीवों के प्राकृतिक आवास, जलचक्र आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साथ ही इससे मिट्टी के कटाव में वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में भी निर्वनीकरण का योगदान है।

निर्वनीकरण का कारण

मानवीय गतिविधियाँ

- वनोन्मूलन/निर्वनीकरण में योगदान देने वाली निम्नलिखित मानवजनित गतिविधियाँ शामिल हैं:
  - **कृषि:** छोटे से बड़े पैमाने पर खेती के लिए वनों की कटाई।
  - **लॉगिंग:** कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए पेड़ों की कटाई।
  - **खनन और शहरी विस्तार:** बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जंगलो की कटाई।
- UNFCCC (यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) के सचिवालय के अनुसार, कृषि 80% वनों की कटाई का मूल कारण है, इसके अलावा लॉगिंग (लट्ठा बनाने) के लिए 14% और ईंधन के रूप में 5% लकड़ी का उपयोग किया जाता है।
- अत्यधिक जनसंख्या और इसमें हो रही वृद्धि, खाद्य और बुनियादी ढांचे जैसे कई संसाधनों की आवश्यकता को भी बढ़ाते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों की कटाई होती है।
- उदाहरण के लिए, किसी शहर की आबादी में वृद्धि के परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्रों की कटाई होती है जिसमें:
  - घरों और अन्य इमारतों का निर्माण होता है।
  - कृषि (भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए) होती है।
  - सड़कों, बांधों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है।

प्राकृतिक कारण

- कुछ दुर्लभ मामलों में, निर्वनीकरण का कारण प्राकृतिक भी है, उदाहरण के लिए एक ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी के आसपास की वन भूमि को जला सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से वनों की कटाई/समाप्ति के निम्नलिखित उदाहरण हैं:
- तूफान, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगलों का विनाश।
- पेड़ों को नष्ट करने वाले परजीवियों द्वारा वन पारिस्थितिकी तंत्र पर आक्रमण।
- जंगल की आग, जो बिजली और अन्य प्राकृतिक घटनाओं द्वारा लग जाती है।
- यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पृथ्वी पर निर्वनीकरण का मानवजनित कारकों की तुलना में प्राकृतिक कारकों की हिस्सेदारी बहुत कम है।

निर्वनीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव

वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि

- वन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस है, इसलिए निर्वनीकरण का ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग में सीधा योगदान है।

जल चक्र परिवर्तन

- पादप जल-चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पेड़-पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण में नमी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, वे अपनी जड़ों के माध्यम से भूजल को अवशोषित करते हैं और इसे अपने पत्तों और फूलों से वातावरण में छोड़ते हैं।
- साथ ही, उनकी जड़ें मिट्टी में दबी रहती हैं और उसमें मैक्रोप्रोर्स (सूक्ष्मरंध्री) बन जाते हैं। ये मैक्रोप्रोर्स पानी को मिट्टी में गहराई तक जाने में सहायता करते हैं, जिससे मिट्टी की जल-धारण क्षमता बढ़ती है।

मृदा अपरदन

- पेड़ अपनी जड़ों को मिट्टी से बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी सुदृढ़ होती है। इसके अतिरिक्त, पेड़ों से उत्पन्न पौधे के कूड़े मिट्टी की सतह को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- वनों की कटाई के कारण अकसर ढलान वाली भूमि में भूस्खलन होता है, जो मिट्टी के आसंजन बल में कमी के कारण होता है।
- मृदाक्षरण यूट्रोफिकेशन (सुपोषण) के लिए एक प्रत्यक्ष योगदानकर्ता है, इसलिए निर्वनीकरण अन्य पर्यावरणीय समस्याओं में योगदानकर्ता के रूप में भागीदार है।

जैव विविधता

- वास्तव में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को पृथ्वी पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। वनों की कटाई इस जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है।
- वैश्विक स्तर पर, वनों की कटाई के परिणामस्वरूप कई वांछनीय प्रजातियों का विलोपन हो चुका है। वनों की कटाई से लगभग 50,000 प्रजातियां (पौधों, जानवरों और कीड़ों आदि) हर साल विलुप्त हो रही हैं।
- अध्ययनों से पता चलता है कि 21 वीं सदी के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से 40% से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त हो जायेंगी।
- कुछ रिपोर्टों के अनुसार, निर्वनीकरण और अन्य कारकों के कारण वैश्विक जीडीपी में वर्ष 2050 तक 7% की गिरावट देखी जा सकती है।

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन

- जीएफआरए वैश्विक स्तर पर जंगलों और उनसे मिलने वाले संसाधनों को संरक्षित और सुदृढ़ करने के तरीकों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- यह वनों और वानिकी को प्रभावित करने वाली ध्वनि नीतियों, प्रथाओं और निवेश के विकास का समर्थन करता है।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)

- खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है।
- एफएओ विकासशील देशों को कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की प्रथाओं को आधुनिक बनाने और सुधारने में मदद करता है और सभी के लिए आवश्यक पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- गठन: 16 अक्टूबर 1945
- मुख्यालय: रोम, इटली।

आगे की राह

- निर्वनीकरण से निपटने के लिए सरकारों और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं:
  - अवैध कटाई को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों और सख्त कानूनों का कार्यान्वयन।
  - वन क्षेत्र के नुकसान को कम करने के लिए सावधानी-पूर्वक योजना व बुनियादी ढांचे (सड़कों, बांधों आदि) का निर्माण।
  - कृषि उद्योग के नई तकनीकों में (जैसे हाइड्रोपोनिक्स) निवेश करना और किसानों को पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों (जैसे चक्रीय कृषि) को लागू करने में मदद करना।
  - अयोग्य कृषि पद्धतियों (जैसे स्लेश-एंड-बर्न एग्रीकल्चर) पर प्रतिबंध लगाकर वनों के प्रबंधन का अनुकूल बनाना।
  - लकड़ी की मांग को कम करने के लिए लकड़ी के विकल्पों के उत्पादन और उपयोग को सुगम बनाना। जैसे बांस लकड़ी के ईंधन के विकल्प के रूप में काम कर सकता है।
  - इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति प्रकृत प्रदत्त संसाधनों का अन्य प्रजातियों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण हेतु जिम्मेदार होता है।
  - एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में 3 आर -कटौती (रिड्यूस), पुन: उपयोग (रियूज) और पुनरावृति (रीसायकल) के सिद्धांत को लागू करके निर्वनीकरण रोकने में योगदान कर सकता है:-
- **रिड्यूस:** जहां तक संभव हो विकल्पों का उपयोग करके, वनों का उपभोग कम करना।
- **रियूज:** अपव्यय को रोकने के लिए यूज एंड थ्रो उत्पादों से परहेज करना।
- **रीसायकल:** सभी इस्तेमाल की गई लकड़ी और कागज उत्पादों का पुनर्चक्रण करना।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. हाल ही में एफएओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निर्वनीकरण की दर में कमी आई है। निर्वनीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुए, इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस

1. चर्चा का कारण

- 17 मई, 2020 को विश्व भर में 'विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस मनाया गया।
- इस वर्ष 'विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस' की थीम "कनेक्ट 2030: सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए आईसीटी (Connect 2030 : ICTs for the Sustainable Development Goals)" है।

2. पृष्ठभूमि

- वर्ष 1865 को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) की स्थापना के वर्षगांठ के रूप में वर्ष 1969 से प्रत्येक वर्ष 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है।
- 2006 से इस दिन के साथ 'विश्व सूचना समाज दिवस' (World Information Society Day) भी मनाया जाने लगा एवं इस दिवस को संयुक्त रूप से विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कहा जाने लगा।
- मूल रूप से 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रूप में स्थापित आईटीयू सबसे पुराना मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

3. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में दूरसंचार का संचालन और सेवाओं का समन्वय करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- **आईटीयू में तीन सेक्टर होते हैं:**
  - **रेडियोकम्युनिकेशन (ITU-R):** यह रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का सर्वोत्तम, उचित और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करता है।
  - **दूरसंचार मानकीकरण (ITU-T):** यह दुनियाभर में दूरसंचार संचालन के मानकीकरण के लिए सिफारिशें तैयार करता है।
  - **दूरसंचार विकास (ITU-D):** यह आंतरिक संचार के संचालन को विकसित करने और उसे बनाये रखने में देशों की सहायता करता है।
- आईटीयू के 193 सदस्य देश हैं, जिनमें केवल पलाऊ गणराज्य और वेटिकन सिटी को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं।

4. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के कार्य

- आईटीयू रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सेटेलाइट और इंटरनेट सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार और प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिए प्रासंगिक नियमों और मानकों को निगमित और प्रकाशित करता है।
- संगठन वर्तमान और भविष्य के मुद्दों को सुलझाने के लिए कार्य दलों (वर्किंग पार्टीज), अध्ययन समूहों (स्टडी ग्रुप) और अन्य महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन करता है। आईटीयू हर चार साल में ग्लोबल टेलीकॉम के रूप में एक प्रदर्शनी और फोरम का भी आयोजन करता है।
- आईटीयू का एक और महत्वपूर्ण पहलू, उभरते देशों को स्वयं की दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने और विकसित करने में मदद करना भी है।
- यद्यपि आईटीयू की सिफारिशें गैर-बाध्यकारी हैं, लेकिन अधिकांश देश एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक संचार वातावरण बनाए रखने के लिए इसकी सिफारिशों का पालन करते हैं।

5. भारत और आईटीयू

- 1869 से भारत आईटीयू का सक्रिय सदस्य है, 1952 में भारत आईटीयू परिषद का औपचारिक सदस्य बना और नवंबर 2018 में भारत को 4 साल के कार्यकाल (2019-2022) के लिए आईटीयू परिषद का सदस्य चुना गया।

02 भारत और आरसीईपी

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर फैले कोविड-19 महामारी तथा साथ ही साथ चीन की नीतियों के कारण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) का विरोध किया।

2. पृष्ठभूमि

- भारत ने कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए सुरक्षा का हवाला देते हुए, नवंबर 2019 में RCEP समूह छोड़ने का फैसला किया था।
- आरसीईपी-ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी (आरसीईपी-टीएनसी) की बैठक में वार्ताकारों ने 2020 तक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी।
- आरसीईपी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि आरसीईपी व्यापार क्षेत्र और निवेश समर्थन करने के लिए एक स्थिर और अनुमानित आर्थिक वातावरण प्रदान करेगा, क्योंकि यह क्षेत्र कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है।

3. भारत का तर्क

- आरसीईपी में सम्मिलित देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 105 बिलियन डॉलर है, जिसमें से अकेले चीन का हिस्सा 54 बिलियन डॉलर है। साथ ही साथ चीनी निर्मित वस्तुओं और न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पादों पर भी भारत ने चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इससे भारतीय बाजारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और घरेलू व्यापारियों को नुकसान पहुंच रहा है।
- इस व्यापार समझौते को मेक इन इंडिया पहल के लिए हानिकारक माना जा रहा है। भारत का तर्क है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम लेवल 1 से लेवल 2 तक बढ़ रहा है, और इसे लेवल 10 पर ले जाना है इसलिए भारत आरसीईपी से बाहर रहने का फैसला किया है।
- भारत ने अन्य देशों के उत्पादों पर शुल्क कम करने और समाप्त करने पर अपनी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह घरेलू कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- टैरिफ कटौती के लिए भारत 2014 को आधार वर्ष के रूप में रखने के बारे में भी चिंतित है।

4. भारत के लिए अवसर

- आस्ट्रेलिया और जापान भारत को आरसीईपी में फिर से शामिल करने के प्रयासों में सबसे आगे रहे हैं। भारत की आशंकाओं के विपरीत ऑस्ट्रेलिया ने मेक इन इंडिया नीति का हवाला देते हुए भारत को शामिल होने को आवश्यक माना।
- भारत के पक्षकारी देशों का मानना है कि यदि भारत आरसीईपी समूह में शामिल होता है तो यह दुनिया को एक संकेत दे सकता है कि भारत निवेश करने के लिए एक आकर्षक स्थान है। यह भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र होने की क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा, जैसा कि सरकार की मेक इन इंडिया नीति द्वारा परिकल्पित है।
- आरसीईपी क्षेत्रीय मूल्यों और आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सुविधा भी प्रदान कर सकता है।
- कोविड-19 महामारी के कारण मांग और खपत पर अनिश्चितता को देखते हुए भारत आरसीईपी का उपयोग भारतीय कंपनियों के बीच प्रोत्साहन देने के लिए भी कर सकता है।

5. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- आरसीईपी एक ट्रेड अग्रीमेंट है जो सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार में सहूलियत प्रदान करता है। अग्रीमेंट के तहत सदस्य देशों को आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स नहीं भरना पड़ता है या बहुत कम भरना पड़ता है।
- इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन और जापान के साथ आसियान के 10 देशों का समूह शामिल है।
- आरसीईपी वैश्विक आबादी का 45 प्रतिशत से अधिक और दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा है।

03 हर्ड इम्युनिटी

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस महामारी के उपचार के लिए झुंड प्रतिरक्षा (हर्ड इम्युनिटी) के अवधारणा की निंदा की गयी।
- डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि यह सोचना गलत है कि कोई देश जादुई रूप से अपनी आबादी को कोरोना वायरस के लिए प्रतिरक्षित बना सकते हैं।

2. हर्ड इम्युनिटी क्या है

- हर्ड इम्युनिटी संक्रामक रोगों से अप्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान कर सकता है, यह तब होता है जब आबादी का एक बड़ा प्रतिशत किसी संक्रमण के प्रति स्वयं प्रतिरक्षी बन जाए, और वे उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करें, जिनकी शारीरिक प्रतिरक्षा कम होती है।
- **यह दो तरह से हो सकता है**
  - बहुत से लोगों के अंदर संक्रामक रोग के प्रति समय के साथ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निर्माण होता है (प्राकृतिक प्रतिरक्षा)।
  - कई लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीका लगाया जाता है।
- कोरोना वायरस की संक्रामकता के शुरुआती अनुमानों के आधार पर, हर्ड इम्युनिटी के लिए कम से कम 70% आबादी का प्रतिरक्षात्मक होना आवश्यक है, परन्तु एक महामारी के सम्बंध में सटीक अनुमान लगाना भी कठिन है।

3. चुनौतियाँ

- हर्ड इम्युनिटी केवल तभी कारगर है, जब बड़ी संख्या में लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता विकसित हो जाए जैसे, 20 में से 19 लोग प्रतिरक्षित हों (प्राकृतिक रूप से या टीकाकारण द्वारा)।
- अभी तक COVID 19 के लिए कोई टीका विकसित नहीं हुआ है और अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं है।
- किसी भी संक्रमण के लिए बिना टीकाकारण के भले ही कई वयस्कों द्वारा स्व-प्रतिरक्षा विकसित कर ली जाये, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रोग अभी भी बच्चों में नहीं फैलेगा या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को संक्रमित नहीं करेगा।
- हालाँकि संक्रमित लोगों में वायरस के खिलाफ कुछ स्तर की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन सुरक्षा का स्तर और अवधि अभी भी ज्ञात नहीं है।

4. निष्कर्ष

- कुछ विशेषज्ञ भारत के लिए हर्ड इम्युनिटी रणनीति की सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि देश में युवा आबादी काफी है। उनका मानना है कि सामुदायिक सहायता और साझेदारी बेहद मददगार हो सकती है।
- कोरोना संक्रमण हृदय, मस्तिष्क और आंत को नुकसान पहुंचाता है और युवा संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन उनकी रुग्णता (मृत्यु दर) कम होती है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति, विशेष रूप से कम प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों को, अधिक जोखिम उठाना पड़ता हैं। संक्रमण, उनके लिए काफी गंभीर हो सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है।
- परन्तु ,भारत में दुनिया के सबसे खराब वायु प्रदूषण, उच्च रक्तचाप और मधुमेह की उच्च दर ने युवाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला है, जिससे यह संभावना बनती है कि वायरस से युवाओं की मृत्यु दर उम्मीद से अधिक भी हो सकती है।
- इसलिए, हर्ड इम्युनिटी बिना वैक्सीन के कोरोना वायरस के मामले में, अधिक निवारक उपाय भी साबित नहीं हो सकता है।

04 चक्रवाती तूफान 'अम्फान'

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में आया चक्रवाती तूफान अम्फान (Cyclone Amphan) से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही हुई है। तूफान के कहर से बंगाल में 72 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

2. अम्फान

- चक्रवात अम्फान के पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट से टकराने के बाद तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है।
- मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर अम्फान के पहुंचने के दौरान चक्रवात के केंद्र में हवा की गति 160-170 किमी प्रति घंटे थी। तूफान के केंद्र का व्यास 30 किमी का था।
- अम्फान ने भारत के साथ-साथ बांग्लादेश में भी तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान से बांग्लादेश में 7 लोगों की मौत हो गई। साथ ही कई इलाके जलमग्न हो गए और सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए।
- ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के तटीय जिलों में चक्रवात से कई निचले इलाके डूब गए, तटबंध टूट गए, पेड़ उखड़ गए और मकान ध्वस्त हो गए।

3. भारत में चक्रवात

- भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील हो जाते हैं तथा पश्चिम की ओर गतिशील होने पर पूर्वी घाट से टकराते हैं परिणामस्वरुप पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा होती है।
- चक्रवात हवाओं के घुमाव का एक जटिल तंत्र है। हवाओं का यह घुमाव यानी चक्रवात तब और तेजी से बढ़ जाता है जब इनमें नमी प्रवेश कर जाती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र की सतह लगातार गर्म हो रही है। इसकी वजह से वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ गई है। वाष्पीकरण होने से वातावरण में नमी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह नमी ही है जो हवा के घुमाव को जबरदस्त चक्रवात में तब्दील कर देती है। चक्रवात के बनने की बुनियादी बात यही है।
- पूरी दुनिया में समुद्री सतह के तापमान में औसतन हर एक दशक में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि 1970 के बाद से दर्ज हो रही है। समुद्र एक गहरी और गर्म खाई में तब्दील हो रहे हैं। गर्म हवाएं वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ज्यादा पानी अपने साथ लेती हैं
- चक्रवात सिर्फ गर्म होते समुद्रों से ही नहीं प्रभावित होते बल्कि हवा के दबाव और स्थानीय पवनें भी इन्हें प्रभावित करती हैं।

4. चक्रवातों के नामकरण

- चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवात का नाम देने की परंपरा 1953 से ही जारी है जो मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कमीशन ने साल 2000 में चक्रवातीय तूफानों का नामकरण शुरू किया। हिन्द महासागर क्षेत्र के 8 देशों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड) ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। उत्तर हिन्द महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण भारतीय मौसम विभाग करता है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा चक्रवाती तूफान 'अम्फान' (Amphan) का नामकरण थाइलैंड द्वारा किया गया था।

05 चुंबकीय उत्तरी ध्रुव

1. चर्चा का कारण

- भूगर्भशास्त्रियों का कहना है कि उत्तरी ध्रुव के खिसकने की गति धीरे-धीरे और तेज हो रही है। पिछले 120 सालों में यह करीब 7 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। यह 50 से 60 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव से दुनियाभर के भूगर्भशास्त्री हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है।

2. पृष्ठभूमि

- वर्ष 1830 में खोजकर्ता जेम्स क्लार्क रॉस ने पहली बार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के खिसकने का पता लगाया था। यह पहले भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से काफी दूर था, लेकिन 2017 में यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के काफी करीब आ गया था।

3. प्रमुख बदलाव

- उत्तरी ध्रुव सन 1900 में कनाडा (Canada) के पास था जो 2020 में खिसककर साइबेरिया (Siberia) पहुंच चुका है।
- उत्तरी ध्रुव के खिसकने की गति में करीब चार गुना की बढ़ोतरी हुई है। 1990 में यह 0 से 15 किलोमीटर प्रतिवर्ष की गति से खिसकता था, लेकिन पिछली सदी में इसकी गति बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गई है।
- चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के खिसकने से इंसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले 7.80 लाख सालों में यह करीब 183 बार बदल चुका है।
- धरती के अंदर और बाहर होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव से वैज्ञानिक तकनीकों जो ध्रुवों और चुंबकीय क्षेत्र को आधार मानकर चलती हैं उनपर असर पड़ता है। जैसे-जीपीएस, एयर ट्रैफिक, सैटेलाइट्स का मूवमेंट, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, रेडियो सिग्नल, रक्षा संचार प्रणाली आदि।

4. भौगोलिक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से अलग कैसे

- पृथ्वी भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर घूमती है। भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वे हैं जहाँ देशांतर (मेरिडियन) की रेखाएँ उत्तर से दक्षिण तक मिलती हैं। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव सीधे एक दूसरे के विपरीत हैं।
- पृथ्वी एक बड़े चुंबक के रूप में कार्य करती है। पृथ्वी के आतंरिक भाग (Core) में मुख्यत: ठोस लोहा पाया जाता है। यह मुख्यत: तरल धातु के घेरे में अवस्थित होता है। पृथ्वी की कोर में बहने वाली तरल धातु विद्युत धाराओं का निर्माण करती है, जो बदले में हमारे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है।

5. क्यों हुआ यह बदलाव और क्या हुआ इसका असर

- दरअसल चुंबकीय प्रभाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली धातुओं के बहाव के कारण पैदा होता है। इसी बदलाव के कारण जो दिशासूचक यंत्र पहले कभी कनाडा पर उत्तरी ध्रुव का संकेत देते थे अब वे साइबेरिया की ओर यह संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी ध्रुव के दो हिस्सों में चुंबकीय प्रभुत्व की एक तरह प्रतियोगिता चल रही है।
- हाल के कुछ सालों में जहाँ कनाडा के नीचे का क्षेत्र कमजोर हुआ तो वहीं रूस के नीचे का क्षेत्र कुछ मजबूत हो गया। यह सब पृथ्वी के आंतरिक पदार्थों के बहाव में परिवर्तन के कारण ही हुआ, और इसी का नतीजा है कि उत्तरी ध्रुव कनाडा से साइबेरिया की ओर खिसकने लगा है।

06 ट्रैवल बबल

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में यूरोप के तीन बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने 'ट्रैवल बबल' (travel bubble) के नाम से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।

2. ट्रैवल बबल क्या है

- 'ट्रैवल बबल' योजना के तहत समूह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ व्यापार संबंधों को नवीनीकृत करने, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को फिर से शुरू करने की अनुमति मिलती है। वर्तमान में इस योजना से आशा की जा रही है कि महामारी के इस दौर में कम से कम विश्व के कुछ भागों की अर्थव्यवस्था चलती रहे।
- गौरतलब है कि बाल्टिक देशों को COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने में अच्छी सफलता मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाल्टिक क्षेत्र के देश आपस में व्यापार सम्बन्ध फिर से जीवित करेंगे और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे।

3. ट्रैवल बबल कैसे काम करेगा

- एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देशों के निवासी एक-दूसरे देश में बिना क्वारंटीन हुए मुक्त रूप से रेल, हवाई जहाज और समुद्री जहाज से यात्रा कर सकेंगे। विदित हो कि इस क्षेत्र में दूसरे देशों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के क्वारंटीन से गुजरना होगा।
- मुक्त रूप से इस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए यहाँ के निवासियों पर भी कुछ शर्त लागू होंगे, उदाहरण के लिए वह पिछले 14 दिनों में बाहर नहीं गया हो और कोविड-19 से संक्रमित नहीं हुआ हो। साथ ही वह ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं आया हो जिसे यह संक्रमण हो चुका हो।
- द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में कोरोना के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों के बीच संभावित यात्रा से जीडीपी में वृद्धि होगी जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35 प्रतिशत होगा।
- इस तरह की व्यवस्था विशेष रूप से छोटे देशों द्वारा पसंद की जा रही है, जिन्हें बड़े भागीदारों के साथ फिर से व्यापार करने में सक्षम होने के बाद लाभ होने की संभावना है।
- गौरतलब है कि तीनों देश बहुत कम आबादी वाले हैं (लिथुआनिया- 28 लाख, लातविया- 19.2 लाख, एस्टोनिया- 13.3 लाख लोग) और ये देश कोविड-19 के प्रकोप के प्रबंधन में काफी सफल रहे हैं।

4. ट्रैवल बबल की शुरुआत कहाँ

- 5 मई को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच ट्रैबल बबल (यात्रा बुलबुला) बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। दोनों देशों को घरेलू रूप से कोरोना महामारी को कम करने में भी सफलता मिली।
- चीन और दक्षिण कोरिया, जिन्होंने कोरोना महामारी प्रकोप को रोकने में सफलता अर्जित किया है, ने व्यापार के उद्देश्य से यात्रियों के लिए हाल ही में एक फास्ट ट्रैक चैनल लॉन्च किया है।

07 स्थानिक बीमारी

1. चर्चा का कारण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 हमारे आस-पास लंबे समय तक रह सकता है और यह भी हो सकता है कि यह कभी ना खत्म हो। जैसे एचआईवी खत्म नहीं हुआ।

2. प्रमुख बिन्दु

- कोरोना वायरस पर अब तक 100 से भी ज्यादा वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल हो चुके हैं लेकिन अब भी विशेषज्ञों को कुछ सकारात्मक नतीजे नहीं मिल पाए हैं जो कोरोना के असर को खत्म कर सकें।
- इससे पहले कई वैज्ञानिक इस बात को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं कि कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है जो पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
- शोधकर्ताओं ने लिखा है कि कोरोना का नया रूप फरवरी में सबसे पहले यूरोप में दिखाई दिया, जो जल्दी ही अमेरिका और फिर मार्च तक दुनिया भर में फैल गया। रिपोर्ट में इस बात की भी चेतावनी दी गई है कि तेजी से फैलने के अलावा यह वायरस लोगों को इतना कमजोर बना सकता है कि उन्हें दोबारा संक्रमण भी हो सकता है।
- विश्लेषकों के मुताबिक, यह बदलाव कोरोना वायरस के बाहरी हिस्से के स्पाइक में हो रहा है, जो श्वसन कोशिकाओं को अपना निशाना बना है। विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें प्रारंभिक चेतावनी देने की जरूरत महसूस हुई ताकि दुनिया भर में बन रहे कोरोना की वैक्सीन और ड्रग, वायरस के इस बदलते रूप को ध्यान में रख कर बनाई जाएं।

3. स्थानिक (एंडेमिक) बीमारी क्या होती है

- अमेरिका के सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन के मुताबिक कोई भी बीमारी स्थानिक तब होती है जब दुनिया की जनसंख्या में इसकी उपस्थिति और सामान्य प्रचलन जारी रहे यानि कि बढ़ता रहे।
- जब किसी बीमारी के मामलों में तेजी होती है तो उसे एपिडेमिक यानि कि संक्रामक रोग की श्रेणी में रखा जाता है लेकिन जब यह रोग दुनिया के कई देशों और इलाकों में फैल जाता है तो इसे महामारी का रूप दे दिया जाता है।
- परन्तु जब यह बिमारी स्थायी या लाइलाज बन जाए तो इसे एंडेमिक कहते हैं।

4. बीमारी के स्थानिक होने पर क्या होता है

- जर्नल साइंस में छपे एक आलेख के मुताबिक जब कोई संक्रामक रोग स्थानिक बनता है तो लगातार सहन करने जैसी स्थिति पैदा कर देता है जिसका परिणाम यह होता है कि बीमारी से बचाने की जिम्मेदारी सरकार से हटकर व्यक्ति विशेष पर आ जाती है।
- इसका मतलब यह है कि किसी बीमारी से लड़ने के लिए आम जनता खुद से जोखिम का प्रबंध कर उसे नियंत्रण करने के रास्ते ढुंढती है जबकि वायरस को रोकने के लिए सरकारी तंत्र जो काम कर रहा है उस पर जिम्मेदारी कम हो जाती है। एक बार लोग वायरस के खतरे के प्रति जागरुक हो जाते हैं तो उनके व्यवहार में बदलाव आता है।

5. आरजीरो (R0)

- एपिडेमियोलॉजी और कम्यूनिटी हेल्थ के जर्नल में छपे एक गणितीय मॉडल के मुताबिक अगर आरजीरो (R0) (यानि कि ऐसी दर जिस पर वायरस का संक्रमण फैल रहा है) एक के बराबर रहेगा तो इसका मतलब है कि बीमारी स्थानिक है और अगर आरजीरो नंबर एक से ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब होगा कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये महामारी का रूप ले सकते हैं।
- वहीं, अगर आरजीरो नंबर एक से कम रहेगा तो इसका मतलब है कि वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। आरजीरो नंबर का मतलब एक बीमार व्यक्ति से कितने लोग संक्रमित हुए हैं।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है।
2. इस दिवस को मनाने की शुरूआत वर्ष 1972 से हुई थी।
3. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेन्सी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः 17, मई को विश्व भर में 'विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरूआत वर्ष 1969 (न सिर्फ 1972) से हुई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेन्सी है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में दूरसंचार का संचालन और सेवाओं का समन्वय करना है। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

02 भारत और आरसीईपी

प्र. निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन करें-

(a) आरसीईपी (RCEP) में सम्मिलित देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 105 बिलियन डॉलर है।

(b) आरसीईपी एक ट्रेड एग्रीमेंट है, जो सदस्य देशों को एक-दूसरे के साथ व्यापार में सहूलियत प्रदान करता है।

(c) आरसीईपी में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन और जापान के साथ आसियान के 15 देशों का समूह शामिल है।

(d) आरसीईपी वैश्विक आबादी का लगभग 45% का प्रतिनिधित्व करता है।

उत्तरः (c)

व्याख्याः आसीईपी (RCEP) में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन और जापान के साथ आसियान के 10 देशों का समूह शामिल है। आरसीईपी वैश्विक आबादी का लगभग 45% का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह कथन (c) गलत है, इसलिए उत्तर (c) होगा।

03 हर्ड इम्युनिटी

प्र. हर्ड इम्युनिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हर्ड इम्युनिटी (झुण्ड प्रतिरक्षा) संक्रामक रोगों से अप्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान कर सकता है।
2. हर्ड इम्युनिटी केवल तभी कारगर है, जब बड़ी संख्या में लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता विकसित हो जाए।
3. हर्ड इम्युनिटी दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा से तथा दूसरा टीकाकरण के द्वारा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हर्ड इम्युनिटी (झुण्ड प्रतिरक्षा) संक्रामक रोगों से अप्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान कर सकता है। हर्ड इम्युनिटी केवल तभी कारगर है, जब बड़ी संख्या में लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता विकसित हो जाए, जैसे 20 में से 19 लोगों मे। हर्ड इम्युनिटी दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक प्राकृतिक रूप से, दूसरा टीकारकरण द्वारा। इस तरह तीनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर (d) होगा।

04 चक्रवाती तूफान अम्फान

प्र. चक्रवाती तूफान अम्फान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चक्रवाती तूफान अम्फान का व्यास 30 किमी. का था।

2. भारत में चक्रवात प्राय: बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं।
3. चक्रवाती तूफान अम्फान केरल तथा तमिलनाडु में भारी नुकसान पहुंचाया।
4. चक्रवातों के नाम समझौते के तहत रखे जाते है, जिसकी शुरूआत वर्ष 1953 में अटलांटिक क्षेत्र में हुई संधि पर हस्ताक्षर से हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही हुई। इस चक्रवात के केन्द्र से हवा की गति 160-170 किमी प्रति घंटा थी तथा इसका व्यास 30 किमी था। चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। इस पहल की शुरूआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम हुई थी। इस तरह कथन 3 गलत है, अत: उत्तर (d) होगा।

05 चुंबकीय उत्तरी ध्रुव

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 1830 ई. में खोजकर्ता जेल्स क्लार्क रॉस ने पहली बार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के मूवमेंट का पता लगाया था।
2. उत्तरी ध्रुव सन् 1900 में कनाडा के करीब था जो वर्ष 2020 में खिसककर साइबेरिया पहुंच चुका है।
3. वर्तमान में उत्तरी ध्रुव के खिसकने की गति में करीब चार गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी ध्रुव के खिसकने की गति धीरे-धीरे और तेज हो रही है। इस गति में करीब-करीब चार गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। उत्तरी ध्रुव के खिसकने का पता सर्वप्रथम वर्ष 1830 में जेम्स क्लार्क ने लगाया था। उत्तरी ध्रुव सन् 1900 में कनाडा के करीब था, जो वर्ष 2020 में खिसककर साइबेरिया पहुंच चुका है।

06 ट्रैवल बबल

प्र. ट्रैवल बबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यूरोपीय बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने ट्रैवल बबल की योजना बनाया है।
2. ट्रैवल बबल की शुरूआत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने दोनों देशों के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में यूरोप के तीन बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने ट्रैवल बबल के नाम से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। ट्रैवल बबल की शुरूआत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने दोनों देशों के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया था। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अत: उत्तर (c) होगा।

07 स्थानिक बीमारी

प्र. स्थानिक बिमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अमेरिका के सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल प्रीवेंशन के मुताबिक कोई भी बीमारी स्थानिक तब होती है, जब दुनिया की जनसंख्या में इसकी उपस्थिति और सामान्य प्रचलन जारी रहे।
2. जब किसी बीमारी के मामलों में तेजी होती है तो उसे एपिडेमिक यानि कि संक्रामक बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: अमेरिका के सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन के मुताबिक कोई भी बीमारी स्थानिक तब होती है, जब दुनिया की जनसंख्या में इसकी उपस्थिति और सामान्य प्रचलन जारी रहे यानि कि बढ़ता रहे। जनरल साइंस के अनुसार जब किसी बीमारी के मामलों में तेजी होती है, तो उसे एपिडेमिक यानि कि संक्रामक बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह दोनों कथन सहीं है, अत: उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 जम्मू-कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल नियम

- हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिवास प्रमाणपत्र (domicile certificate) नियमों को मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति अब वहां का निवासी कहलाएगा। सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य/यूटी के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। विदित हो कि पहले जम्मू-कश्मीर में संविधान की धारा 35ए के तहत तय होता था कि कौन व्यक्ति राज्य का निवासी है और कौन नहीं।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश 2020-गृह मंत्रालय, जम्मू-कश्मीर विभाग द्वारा जारी किया गया।

पात्रता

- सभी स्थायी निवासी प्रमाणपत्र धारक और जम्मू-कश्मीर के बाहर रहने वाले उनके बच्चे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जम्मू-कश्मीर में रहने वाले या बाहर रहने वाले कश्मीरी प्रवासी केवल अपने स्थायी निवास प्रमाणपत्र (पी.आर.सी.), राशन

कार्ड की प्रतिलिपि, वोटर कार्ड या किसी अन्य वैध दस्तावेज को प्रस्तुत करके ही अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

- वास्तविक प्रवासी 988 की मतदाता सूची, देश के किसी भी राज्य में प्रवासी के रूप में पंजीकरण का साक्ष्य या कोई अन्य वैध दस्तावेज जैसे दस्तावेज प्रदान करके राहत एवं पुनर्वास विभाग के साथ आवेदन कर सकते हैं।
- नई प्रक्रिया से पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, सफाई कर्मचारियों और उन महिलाओं के बच्चों को अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने गैर-स्थानीय लोगों से यहां नौकरी करने के लिए शादी की थी।
- नए अधिवास कानूनों के अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सांविधिक निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, जिन्होंने कुल दस वर्षों की कुल अवधि के त्रिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सेवा प्रदान की है, वे प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं।
- जिस भी शख्स ने जम्मू-कश्मीर में 15 साल बिताए हैं या जिसने यहां सात साल पढ़ाई की और 10वीं-12वीं की परीक्षा यहीं के किसी स्थानीय संस्थान से दी, वह यहां का निवासी होगा।
- मूल निवासियों को ही इस केंद्रशासित प्रदेश की ग्रुप-4 की नौकरियां दी जाएंगी। पुलिस महकमे में यह दर्जा कॉन्स्टेबल का है।

02 अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा घोषित उपाय

- भारतीय रिंजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने राष्ट्रपिता के वर्ष 1929 के अनमोल विचार "जब क्षितिज सर्वाधिक अंधकारमय हो जाता है और मानवीय विवेक असमर्थ प्रतीत होने लगता है, तब विश्वास ही सबसे अधिक प्रबल होता है और हमारा बचाव करता है।" से आशा एवं प्रेरणा लेते हुए वित्त के प्रवाह को सुचारू बनाने और कोविड-19 से उत्पन्न' अशांत एवं अनिश्चित माहौल में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए नौ और अहम उपायों की घोषणा की है। ये उपाय निम्नलिखित हैं-

रेपो रेट में 0.40 प्रतिशत की कमी

- आरबीआई गवर्नर ने महंगाई दर को निर्धारित

दायरे में ही रखते हुए विकास की गति को फिर से तेज करने के लिए रेपो रेट को 4.4% से 0.40 प्रतिशत घटाकर 4.0% कर दिया है। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को भी 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया गया है। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया गया है।

बाजारों के कामकाज को बेहतर करने के उपाय

- लघु उद्योगों को किफायती ऋण की आपूर्ति को सक्षम बनाने के लिए आरबीआई ने 17 अप्रैल, 2020 को सिडबी को 90 दिनों की अवधि के लिए आरबीआई के नीतिगत रेपो रेट पर 15,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधा देने की घोषणा की थी। इस सुविधा को अब 90 दिन और बढ़ा दिया गया है।
- स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) दरअसल एक निवेश सुविधा है जो आरबीआई द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को प्रदान की जाती है और जो ज्यादा निवेश करने की प्रतिबद्धता के बदले में आसान नियमों की पेशकश करती है। नियमों में बताया गया है कि आवंटित निवेश सीमा का कम से कम 75% निवेश तीन माह के भीतर किया जाना चाहिए; निवेशकों और उनके संरक्षकों (कस्टोंडियन) के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए अब समय सीमा को संशोधित कर छह माह कर दिया गया है।

वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय

- आरबीआई ने पूर्व में घोषित किए गए कुछ नियामकीय उपायों की प्रयोज्यता या स्वीकार्यता को 1 जून, 2020 से तीन माह और बढ़ाकर अब 31 अगस्त, 2020 तक कर दिया है। ये उपाय अब कुल छह महीनों (यानी 1 मार्च, 2020 से लेकर 31 अगस्त, 2020 तक) के लिए लागू माने जाएंगे। संबंधित नियामकीय उपाय हैं:
- सावधि ऋणों की किस्तों की अदायगी पर 3 माह की मोहलत;
- कार्यशील पूंजी सुविधाओं के ब्याज पर 3 माह का स्थगन;
- मार्जिन कम करके या कार्यशील पूंजी चक्र का फिर से आकलन करके कार्यशील पूंजी वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुगम बनाना;
- पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग में 'डिफॉल्टर' के रूप में वर्गीकृत होने से छूट देना;
- फंसे कर्जों के लिए समाधान समयसीमा का विस्तार; और
- ऋण संस्थानों द्वारा 3 माह की मोहलत अवधि, इत्यादि को हटाते हुए संपत्ति वर्गीकरण पर विराम।
- ऋण देने वाले संस्थानों को यह अनुमति दी गई है कि वे 31 मार्च, 2021 तक कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन को उनके मूल स्तर पर बहाल कर सकते हैं। इसी तरह कार्यशील पूंजी चक्र का फिर से आकलन करने से संबंधित उपायों का समय विस्तार 31 मार्च, 2021 तक किया जा रहा है।
- ऋण देने वाले संस्थानों को 6 माह (अर्थात 1 मार्च, 2020 से लेकर 31 अगस्त, 2020 तक) की कुल स्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर संचित ब्याज को एक वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है, जिसे 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी तरह से चुकाना होगा।
- बैंक द्वारा किसी विशेष कॉरपोरेट समूह को दिए जाने वाले अधिकतम ऋण को उसके उपयुक्त पूंजी आधार के 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। वर्तमान में कंपनियों को बैंकों से धन जुटाने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को बैंकों से अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसा किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी।

03 सोनिक बूम

- हाल ही में घटित बेंगलुरू की एक घटना के बाद सोनिक बूम शब्द आजकल खूब चर्चा में है।

क्या होता सोनिक बूम

- जब किसी चीज की रफ्तार ध्वनि से ज्यादा तेज होती है तो उसे सुपरसोनिक रफ्तार कहते हैं। यानी जब कोई चीज 332 मीटर प्रति सेंकेंड की रफ्तार से भी तेज गति से चलती है तो इसकी रफ्तार को सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। अब अगर इसे एयरक्राफ्ट से मिलाकर देखें तो बात ज्यादा स्पष्ट होगी। अगर किसी एयरक्राफ्ट की रफ्तार 1225 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज होती है तो वह सोनिक बूम उत्पन्न करता है। दरअसल विमान हवा में चलते समय ध्वनि तरंगे पैदा करता है। लेकिन जब तक इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम होती है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से तेज हुई तो जिस जगह से भी यह विमान गुजरता है वहां विस्फोट जैसी आवाज होती है।
- मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किए गए एक स्टेटमेंट में कहा गया कि सोनिक बूम की आवाज शायद तब सुनाई पड़ी होगी जब यह एयरक्राफ्ट अपनी रफ्तार

सुपर सोनिक से सबसोनिक स्पीड में बदल रहा होगा। यह निश्चित किया गया कि यह विमान एयरक्राफ्ट सिस्टम ऐंड टेस्टिंग स्टैबलिशमेंट से ताल्लुक रखता है और शहर के बाहरी हिस्से के आवंटित एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था।

- इस तेज आवाज को और स्पष्ट करते हुए इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर ने एक अलग स्टेटमेंट भी जारी किया। इसके मुताबिक ऐसी टेस्ट फ्लाइट शहरी सीमाओं के बाहर की जाती हैं। हालांकि इस समय कोराना वायरस की वजह से लॉकडाउन के कारण वातावरण में शोर कम हो गया है। संभव है इसी वजह से यह आवाज शहरवासियों को सुनाई दी होगी।

सुपर सोनिक फ्लाइट्स

- सन 1947 में अमेरिकी सेना के पायलट चक यीगर दुनिया के पहले ऐसे पायलट थे जिन्होंने ध्वनि की रफ्तार से तेज विमान उड़ाया था। इस एयर क्राफ्ट का नाम Bell X-1 था। इसके बाद बहुत सारे सुपर सोनिक फ्लाइट्स ने ध्वनि की रफ्तार से अधिक उड़ान भरी। इसके बाद कई अडवांस विमानों की

रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से तीन गुना ज्यादा है। इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट के मुताबिक भारत के सबसे तेज जेट सुखोई 30MKI और मिराज-2000 इसके बेहतर उदाहरण हैं।

04 अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस

- जैव विविधता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था।

जैव-विविधता क्या है

- जैव-विविधता "जैविक" और "विविधता" दो शब्दों से उत्पन्न हुआ है। यह सभी प्रकार के जीवन को संदर्भित करता है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं जैसे पौधों, जानवरों, कवक और सूक्ष्म जीवों। इसके अलावा, यह उन समुदायों को भी संदर्भित करता है जो वे बनाते हैं और जिन आवासों में वे रहते हैं।

अंतराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (IDB) 2020: थीम

- अंतराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (IDB) 2020 का थीम है: "Our solutions are in nature"
- तकनीकी प्रगति के बावजूद दुनिया में पूरा समुदाय हमारे स्वास्थ्य, पानी, भोजन, दवा, कपड़े, ईंधन इत्यादि के लिए पूरी तरह से स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है, जब हम COVID-19 महामारी से उबरेंगे तो

आने वाले समय और राष्ट्रों और समुदायों का निर्माण करना "बिल्ड बैक बेटर" (Bild Back Better) हमारा कर्तव्य है।

- अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (IDB) 2019 का थीम था" "Our Biodiversity, Our Food, Our Health"। यह खाद्य प्रणाली, पोषण, जैव विविधता पर स्वास्थ्य और स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों पर निर्भरता के बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाने पर केंद्रित था।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1992 में, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे "पृथ्वी सम्मेलन" के रूप में भी जाना जाता है, में राज्य और सरकार के नेताओं ने सतत विकास की रणनीति पर सहमति व्यक्त की। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, सबसे अधिक समझौतों में से एक जैविक विविधता पर कन्वेंशन था।
- यह सम्मेलन 29 दिसंबर, 1993 को लागू हुआ और अंतराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस को नामित किया गया। 2001 से, यह 22 मई को मनाया जा रहा है। 1992 में, केन्या के नैरोबी में एक सम्मेलन में जैव विविधता पर कन्वेंशन का टेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था। हर साल, अंतराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस एक विशेष थीम पर केंद्रित होता है और उसी के अनुसार इसे मनाया जाता है।
- इस दिन, पूरी दुनिया में, लोगों को जैव विविधता के महत्व को और भविष्य के लिए यह क्या भूमिका निभाता है, को समझाने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिवालय हर साल उन समारोहों का आयोजन करता है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। कई राष्ट्रीय सरकारें और गैर-सरकारी संगठन भी समारोहों में भाग लेते हैं।

05 सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन

- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा GFR 2017 (सामान्य वित्तीय नियम) में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के तहत, 200 करोड़ रूपये से कम की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं रोक दिया जाएगा। इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गयी थी।
- सामान्य वित्तीय नियम सार्वजनिक वित्त से सम्बंधित नियमों का समूह है। सामान्य वित्तीय नियम को पहली बार 1947 में जारी किया गया था और सभी मौजूदा आदेशों को एक साथ लाया गया था। जीएफआर को 1963 और 2005 में संशोधित किया गया था।
- जीएफआर को 2017 में संशोधित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संगठन लचीलेपन से समझौता किए बिना अपने व्यवसाय का प्रबंधन है।

ग्लोबल टेंडरिंग

- टेंडरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे किसी परियोजना के लिए बोलियाँ स्वीकार की जाती हैं। वैश्विक टेंडरिंग विदेशों से या विदेशी निवेश के माध्यम से होती है। वैश्विक टेंडर को खारिज करना, स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश को एक विशेष सीमा तक रोक रहा है।
- इसलिए सरकार का यह प्रयास है कि वित्तीय नियमों में संशोध कर अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण भारत में हो जिससे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाया जा सके। हालांकि कि इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि विदेशी निवेश को भी अधिक से अधिक आकर्षित किया जाये।

06 भारत बना पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता

- कोरोना के इस संकट काल में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से जंग में व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान यानी पीपीई किट मुख्य सुरक्षा कवच है। पीपीई किट कोरोना वारियर्स को कोरोना के संक्रमण से बचाती है। अब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीई किट बनाने वाला दूसरा देश बन गया है।

- सरकार ने यह जानकारी दी कि भारत दो महीने के कम समय के भीतर व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान (पीपीई) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर बन गया है। इस क्षेत्र में भारत से आगे सिर्फ चीन है। चीन पीपीई का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है।
- भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों पीपीई का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के अपने पिछले संबोधन में कहा था कि भारत मुसीबत को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने इसके लिए एन-95 मास्क का उदाहरण देते हुए कहा था कि भारत इससे पहले कभी एन-95 मास्क का उत्पादन नहीं करता था लेकिन कोरोना ने भारत को यह मौका दिया।
- पीपीई की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करने के लिये कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला में केवल प्रमाणित कंपनियां ही पीपीई की आपूर्ति करें। अब कपड़ा समिति, मुंबई भी स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य कोरोना वारियर्स के लिए आवश्यक पीपीई का परीक्षण और प्रमाणन करेगी।

07 डॉ. हर्षवर्धन : डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष चुने गये। हर्षवर्धन ने जापान के डॉ हिरोकी नकाटानी की जगह लिया जो वर्तमान में 34-सदस्यीय डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे।
- डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि भारत को तीन साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन का पद कई देशों के अलग-अलग ग्रुप में एक-एक साल के हिसाब से दिया जाता है। बोर्ड की बैठक साल में दो बार होती है।

- कार्यकारी बोर्ड का मुख्य काम स्वास्थ्य असेंबली के फैसलों व पॉलिसी तैयार करने के लिए उचित सलाह देने का होता है। डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल 34 सदस्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल जानकार होते हैं। जिन्हें 19 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से 3 साल के लिए बोर्ड में चुना जाता है। बता दें कि हर्षवर्धन कोविड-19 के खिलाफ देशव्यापी जंग में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिसके चलते उनको यह पद सौंपा गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में अवस्थित है। डब्ल्यू.एच.ओ. संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 भारत की अफगानिस्तान नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में किस हद तक सही है? चर्चा करें।

02 खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली टिड्डियों के आक्रमण के कारणों का उल्लेख करते हुए, इससे सुरक्षा हेतु किये गये उपायों की चर्चा करें।

03 पछुआ विक्षोभ से आप क्या समझते हैं? भारतीय मानसून पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें।

04 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऑनलाइन शिक्षा को पूरक होना चाहिए अथवा इसे पूर्णतः प्रतिस्थापित होना चहिए? उल्लेख करें।

05 वर्तमान समय में भारतीय विदेश नीति में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें।

06 कोविड-19 महामारी ने यह पुष्ट कर दिया है कि भारत का विकास गाँवों के सर्वांगीण विकास से ही संभव है। टिप्पणी करें।

07 वर्तमान की कई घटनाओं ने सामाजिक विश्वास को निम्न स्तर पर ला दिया है। यह अविश्वास समाज व व्यक्तिगत कल्याण के लिए किस प्रकार नुकसानदायक है? उदाहरण सहित चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

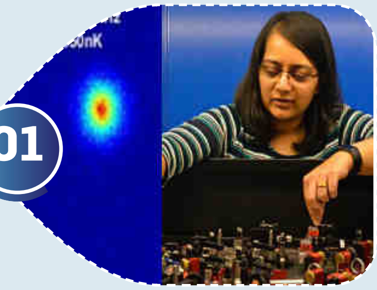

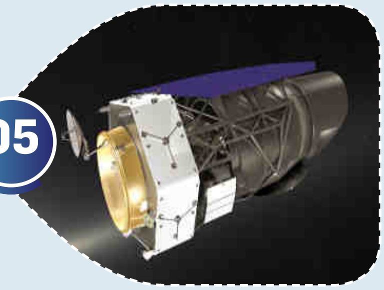

01 किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने लॉकडाउन के दौरान घर में काम करते हुए 'पदार्थ के पांचवें अवस्था' की खोज की है?

डा0 अमृता गाडगे

02 सितम्बर 2020 से शुरू किया जाने वाला हुनर हाट का विषय क्या है?

लोकल टू ग्लोबल

03 विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है?

23 मई

04 वह भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता जिसे अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए न्यूयार्क आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है?

सिद्धार्थ मुखर्जी

05 नासा के वाइड फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप (WFIRST) का नया नाम क्या है?

नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप

06 दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए विश्व बैंक द्वारा नियुक्त भारतीय अर्थशास्त्री का क्या नाम है?

आशा झा

07 वह 18 वर्षीय संधि जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानने से इंकार कर दिया है?

ओपन स्काई संधि

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02 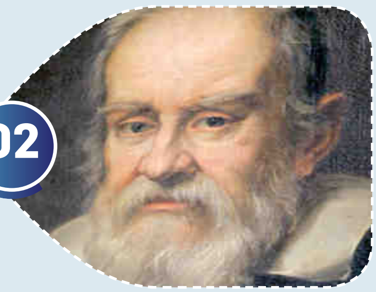

04 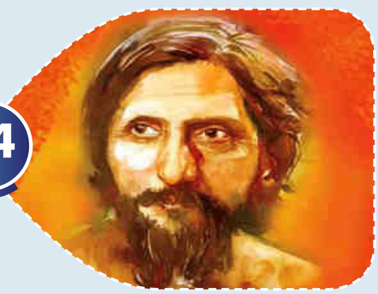

06

01 क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है; इसमें आप ही जलते हैं।

भगवान बुद्ध

02 आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल उसे खुद के भीतर खोजने में मदद कर सकते हैं।

गैलीलियो गैलीली

03 अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है।

महात्मा गाँधी

04 जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो आदमी संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है।

सूर्य कांत त्रिपाठी निराला

05 सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं।

अल्बर्ट आइंस्टीन

06 हम एक बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो की अँधेरे से डरता है लेकिन जीवन की असली त्रासदी तब है जब इंसान प्रकाश से डरने लगे।

प्लेटो

07 जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है, वह आपके किसी काम की नहीं होती।

डा. भीमराव अम्बेडकर

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूज़लेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

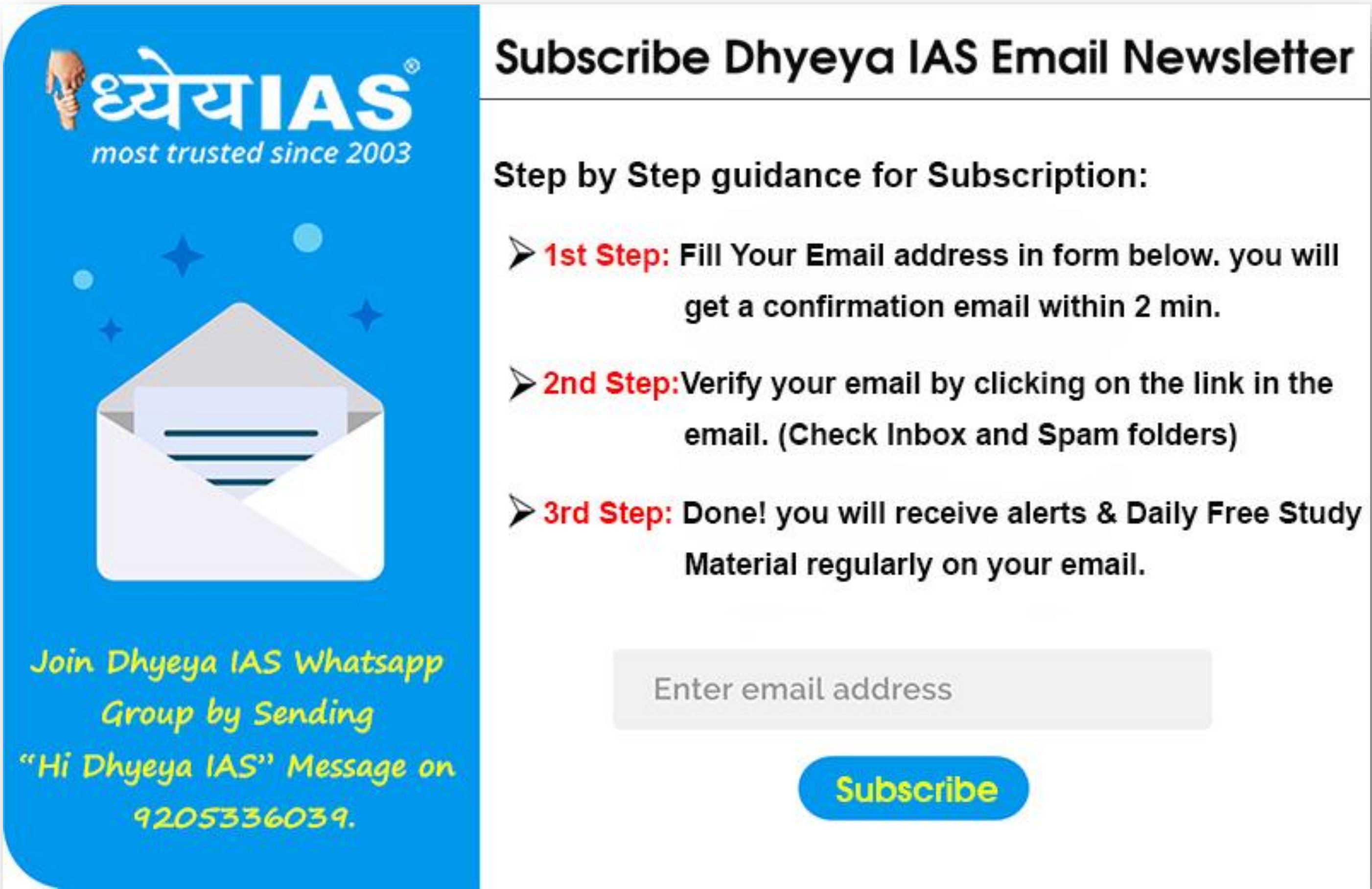

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400